प्रकाशन क्रमांक .....

शासकीय उपयोग हेतु

अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2019-20

निर्देशन
शम्मी आबिदी IAS

प्रतिवेदन
मोहन साहू

सहयोग
डॉ. अनिल विरूलकर
अमरदास
दीपा साईन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

अध्याय – एक

प्रस्तावना

विषय वस्तु

जनजातियों को भारत देश के प्राचीनतम निवासी माना जाता हैं ये जनजातीय समूह ग्रामीण एवं शहरीय सभ्यता से कोसों दूर सघन वनों, पहाड़ियों, तराइयों एवं कंदराओं, गुफाओं में आदि काल से प्रमुखता से निवास करते आ रहे हैं, इसलिए जनसामान्य इन अनुसूचित जनजातियों को **''वनवासी''**, वन्यजाति, जनजाति, गिरीजन आदि विभिन्न नामों से जानते हैं।

समाजशास्त्रीय, मानवविज्ञानी एवं इतिहासकार इन जनजातियों को प्रागैतिहासिक सभ्यता (Prehistorical Civilization) और ग्रामीण सभ्यता (Rural Civilization) के बीच की कड़ी मानते हैं।

इन जनजातीय समुहों की अपनी एक विशिष्ट बोली, निश्चित निवास क्षेत्र, स्वयं की अपनी देवी–देवता एवं प्रकृति के उपासक होते हैं। इनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति तथा विशिष्ट राजनैतिक संगठन होता है। समाज की अपनी एक विशिष्ट पहचान वधू–मूल्य प्रथा, वन आधारित संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था आदि इनको एक विशिष्ट पहचान देती है।

जनजातियाँ सामान्यतः अन्य समुदायों से पृथक जीवनयापन करने के कारण आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य समुदायों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में ऐसे समुदायों को विशिष्ट जनजातीय लक्षणों के आधार पर पहचान कर सूचीबद्ध करते हुए अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी।

भारतीय संविधान में सर्वप्रथम 06.09.1950 को जनजाति को सूचीबद्ध कर अधिसूचना जारी की गई। अनुसूचित जनजाति की सूची अलग–अलग राज्यों के लिए पृथक–पृथक जारी की जाती है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर अधिसूचित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के

सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक विकास एवं विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाने, संबंधित हितों की रक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक उपबंधों के तहत संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Safeguards) किये गये हैं।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत सरकार एवं समस्त राज्य सरकार जनजातियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित कर उन्हें विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.60 प्रतिशत भाग जनजातियों का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची में 42 जनजातीय समुदायों व उसकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर अबूझमारिया सूचीबद्ध है।

जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7822902 (पुरूष 3873191 एवं महिला 3949711) है, जिसमें से अधिकांश 92.44 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। शेष मात्र 7.56 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवासरत है।

शैक्षणिक दृष्टि से 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में साक्षरता की दर 50.03 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 58.85 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 41.38 प्रतिशत है। राज्य की कुल साक्षरता दर 60.21 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 50.03 प्रतिशत कम है।

विशेष पिछड़ी जनजातियाँ –

भारत सरकार द्वारा आदिवासी विकास के संबंध में समीक्षा करने पर पाया कि कुछ अनुसूचित जनजातियाँ अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत कम विकसित पाये गये, जिसका प्रमुख कारण उस समूह का अंतिम छोर पर होना जहां विभिन्न विकासीय योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है अथवा वे उन योजनाओं का लाभ नहीं

ले पा रहे हैं। उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनके लिए अलग से कार्ययोजना निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जनजातियों के समग्र विकास की योजनाओं का समीक्षा उपरांत कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय जो अन्य जनजातियों से अपेक्षाकृत कम विकसित हुए या किन्हीं कारणों विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके समग्र विकास के लिए विशेष कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

सर्वप्रथम 1973 में ढेबर आयोग द्वारा जनजातीय समुहों में से सर्वाधिक कम विकसित समुदायों के लिए पृथक से **"आदिम जनजातीय समूह" (Primitive Tribal Group)** के नाम से श्रेणी बद्ध किया गया।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजातियों को विशिष्ट मानदण्डों जैसे कम होती या स्थित जनसंख्या (Declining in Population or Stagnant Population), कम साक्षरता दर (Low Literacy rate), प्राकृतिक कृषि तकनीक (Pre-Agriculture Technique), आर्थिक पिछड़ापन (Economically Backwardness) एवं पृथककरण (Issolation) आदि आधार पर चिन्हित कर सर्वप्रथम वर्ष 1975 में 52 अनुसूचित जनजातियों को तत्पश्चात सन् 1993 में 23 अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही विकासोन्मुखी योजनाओं के अतिरिक्त पृथक से योजनाएं संचालित किये जाने संबंधी प्रावधान किया गया।

भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों हेतु घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची इस प्रकार है :–

क्र.	राज्य	संख्या	आदिम जनजातियां
1.	आंध्रप्रदेश	12	चेंचू, बोडो गडाबा, गुटोब गडाबा, डोंगरिया खोंड, कुटिया खोंड, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडोसवारा, बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, पारेंगी पोरोजा, थोटी
2.	बिहार (झारखण्ड)	09	असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिल खारिया, कोरवास, मल पहारिया, परहइया, सौरिया पहारिया, सावर
3.	गुजरात	05	कोलघा, कथोडी, कोतवालिया, पधार, सिद्दी

4.	कर्नाटक	02	जेनू कुरूबा, कोरागा
5.	केरल	05	चोलानाइकायन, कदार, कट्टूनायकन, कोरागा, कुरूम्बा
6.	मध्यप्रदेश (छ.ग. सहित)	07	अबूझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, हिल कोरवा, कमार, सहरिया
7.	महाराष्ट्र	03	कटकारिया, कोलम, मारिया गोंड
8.	मणिपुर	01	मारम नागास
9.	उड़ीसा	13	चुकटिया भुंजिया, बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया खोंड, जुआंग, खारिया, कुटिया खोंड, लानजिया सौराव, लोधा, मनकिदा, पौडी भूयान, साउरा
10.	राजस्थान	01	सहरिया
11.	तमिलनाडू	06	इरूला, कट्टूनायकन, कोटा, कुरूम्बा, पानियान, टोडा
12.	त्रिपुरा	01	रियांग
13.	उत्तर प्रदेश	02	बुकसा, राजी
14.	पश्चिम बंगाल	03	बिरहोर, लोधा, टोटो
15.	अण्डमान एवं निकोबार आइलैंड	05	ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओन्गेज, सेंटिनिलिज, शोमपेन

उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित कुल 42 जनजातियों में से **कमार, हिल या पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा** के साथ–साथ **अबूझ मारिया** अनुसूचित जनजातियों को **"आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups)** घोषित किया गया है। माड़ क्षेत्र में निवासरत होने के कारण इस समुदाय को स्थानीय बोल–चाल में **अबूझमाड़िया** नाम से भी संबोधित एवं उल्लेखित किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में उक्त आदिम जनजाति समूह (PTG) के स्थान पर Primitive Vulnarable Tribal Groups (PVTGs) के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

राज्य की उक्त 05 विशेष पिछड़ी जनजातियां (PVTGs) राज्य के निम्नानुसार जिलों में निवासरत है :–

क्र.	PVTGs	निवासरत जिले
1	कमार	गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर एवं बलौदाबाजार–भाटापारा
2	अबुझमाड़िया	नारायणपुर
3	पहाड़ी कोरवा	कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर
4	बिरहोर	बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर
5	बैगा	कोरिया, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए राज्य में विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के इन 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए गठित विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	PVTGs का नाम	अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	कमार	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ नगरी, जिला धमतरी विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ महासमुंद विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर
2	बैगा	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण – बिलासपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ – कोरिया विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	बिरहोर	विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़, जिला – रायगढ़
5	अबुझमाड़िया	विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण, नारायणपुर

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति ''अबूझ मारिया'' (अबूझमाड़िया) के आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित है।

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ रायपुर के वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित विशेष पिछड़ी जनजातियों का आधारभूत सर्वेक्षण जो कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एवं प्रदत्त शत्–प्रतिशत अनुदान द्वारा उक्त कार्य संपादित किया गया।

अध्ययन प्रविधियाँ –

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों का आधारभूत सर्वेक्षण में समस्त परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित था, अतः अबुझमाड़िया जनजाति के अध्ययन के लिए **"जनगणना पद्धति" (Census Method)** अर्थात् शत्–प्रतिशत परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया।

प्राथमिक तथ्यों का संकलन (Primary Data Collection) हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुसूची (Sheduled) के माध्यम से घर–घर जाकर चर्चा उपरांत तथ्यों/आंकड़ों का संकलन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन (Seconday Data Collection) पूर्व सर्वेक्षण की ग्रामवार सूची, जनगणना प्रतिवेदन, पूर्व प्रकाशित पुस्तकें एवं प्रतिवेदनों का सहयोग लिया गया।

प्राप्त आंकड़ों का कम्प्यूटर में एंट्री पश्चात प्राप्त निष्कर्षों अथवा आंकड़ों का सारणीयन कर उसकी व्याख्या करते हुए प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य –

विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया का आधारभूत सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नांकित है –

1. अबुझमाड़िया जनजाति की जनांकिकीय स्थिति का अध्ययन करना।
2. अबुझमाड़िया जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. अबुझमाड़िया जनजाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
4. अबुझमाड़िया जनजाति में शासन के विकासीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना आदि है।

अध्ययन का महत्व –

आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त जिलेवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार परिवारों की संख्या, जनसंख्या, आवास, प्रकार, आय एवं व्यय के स्त्रोत, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति आदि आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों से इन जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं के संचालन/क्रियान्वयन एवं भविष्य के लिए योजना निर्माण में यह अध्ययन सहायक होगी।

==0==

अध्याय – दो
जनजातीय परिचय

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 42 जनजातीय समुदायों एवं उसकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विशिष्ठ मापदण्डों एवं लक्षणों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची के अनुक्रमांक 16 पर शामिल अबुझमाड़िया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।

अबुझमाड़िया जनजाति वर्ममान में भी दुर्गमवास स्थानों में आदिम अवस्थाओं में जीवनयापन कर रही है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकासीय योजनाएं संचालित कर उनके समग्र विकास के लिए प्रयास की जा रही है, जिसका प्रभाव भी दिखाई देते हैं, किन्तु इन जनजातियों का सांस्कृतिक–सामाजिक स्वरूप आज भी मौलिक है। अबुझमाड़िया जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृष्य निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट है –

सामान्य वर्गीकरण –

अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के नारायणपुर एवं ओरछा विकासखण्ड में निवासरत है, जिसे अबुझमाड़ क्षेत्र कहा जाता है। यह जनजाति सभ्य समाज से पृथक अबुझमाड़ क्षेत्र के सघन वनों एवं पहाड़ियों में निवास करती है। अबुझमाड़ शब्द का हिन्दी भाष में **''अबुझ''** अर्थात् **''अनजान''** तथा **''माड़''** अर्थात् **''पहाड़ी''** जिसका शाब्दिक अर्थ अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी होता है। सर डब्ल्यू वी ग्रिगसन (1938) ने इन्हें हिल माड़िया नाम दिया। अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की एक उपजाति है।

भाषायी दृष्टि से अबुझमाड़िया जनजाति में गोंडी बोली का स्थानीय स्वरूप ''माड़ी'' प्रचलित है। जो द्रविड़ भाषा समूह अंतर्गत आता है। दुर्गम क्षेत्र होने व बाहरी संपर्कों के अभाव में गोंडी बोली वर्तमान माड़ी बोली में परिवर्तित हो गये। शारीरिक दृष्टि से अबुझमाड़िया सुविकसित बाल भूरे एवं काले, लहरदार/घुंघराले, आंखे काली, चेहरा गोल व अण्डाकार, त्वचा का रंग गोरा, सांवला व काला होता है। होंठ मध्यम एवं नाक चौंड़ी होती है।

उत्पत्ति –

अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में एक किवदंती अनुसार अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर को अपना मूल जन्म स्थान मानते हैं। क्षेत्र के पहाड़ियों के कुचमुंडा नामक स्थान में इनके आदि पूर्वज **"कस्तूरनागा"** का निवास स्थान था, जिसके मुंज तथा कोवे दो संतान थे। कालान्तर में मुंज के संतान **"माड़िया"** तथा कोवे के संतान **कोइतूर** कहलाये। माड़िया अपने मूल निवास स्थान में फैल गये व कोइतूर अबुझमाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने लगे।

भौतिक संस्कृति –

भौतिक संस्कृति से आशय मानव द्वारा संग्रह की गयी भौतिक संशाधनों एवं वस्तुओं से है जो उनकी आजीविका निर्वहन के लिए आवश्यक है।

अबुझमाड़िया आवास सामान्यतः उसके चारों ओर लकड़ी या बांस के खंबों की बाड़ी होती है, मध्य भाग में **"लोन" (आवास)** का निर्माण किया जाता है। आवास के समीप **"कोहला मंडा" (अनाज भंडार गृह), "कुरमा लोन" (मासिक धर्म व प्रसव का कमरा) "पद गुड़ा" (सुअर रखने का घर)** होता है। आवास का पहला कक्ष **"अगली" (बरामदा),** उसके बाद गुड़नद (शयन कक्ष) होता है, जिसमें सामान भी रखा जाता है। इसके पीछे **"अंगादी" (रसोई घर)** होता है। इसके बाद **"हानाल कोली' (पूर्वजों का कक्ष या भंडार कक्ष)** होता है।

अबुझमाड़िया जनजाति में घरेलू उपकरण के रूप में भोजन पकाने की मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम व स्टील के **गंजी, कड़ाही, थाली, गिलास, कटोरा, हंसिया, चाकू, कुल्हाड़ी, अनाज कूटने की ढेकी, मूसल–कोटनी, पीढ़ा, हांडी, झाड़ू, अनाज नापने के मापक, मत्स्याखेट हेतु, गरी–लाट, दांदर, जाल, थापा, तीर–धनुष** आदि। शिकार उपकरण के रूप में **गुलेल, तीर–धनुष, फरसा, विभिन्न प्रकार के जाल, भरमार बंदूक** आदि रहता है।

अबुझमाड़िया सदस्य कपड़ों का कम उपयोग करते हैं। वृद्ध पुरूष एवं महिला कमर में कपड़ा पहनते हैं। वर्तमान परिवेश में **शर्ट, पेंट, लुंगी, हाफ पैंट, साड़ी, ब्लाउज आदि** पहनने लगे हैं। श्रृंगार हेतु आभूषण के रूप में **"उबिंग" (सिक्कों की माला)**

चीप माला, मोती माला, लोहे की अंगूठी, तोड़ा तथा चूड़ी पहनते हैं। ककसाड़ नृत्य हेतु युवक गेरी (घाघरा) तलदोपा (पगड़ी) कंघी, माला, गुब्बा (पक्षियों की पंख की कलगी) युवतियों के सफेद धोती, उबिंग, सूता, पिंजोड़ (फूंदरा) माला, पड़किंग (छल्ला) तथा तोड़ा (पैंरों का आभूषण) आदि पहनते हैं।

संगीत उपकरण के रूप में **ढोल, मांदर, बांसुरी, नगाड़ा, तुड़बुड़ी** आदि का उपयोग, नृत्य संगीत, घोटूल में मनोरंजन एवं विभिन्न संस्कार के अवसरों पर बजाया जाता है।

जीवन संस्कार –

जन्म संस्कार

अबुझमाड़िया जनजाति में जन्म को एक प्राकृतिक घटना के रूप में माना जाता है। इस जनजाति में मासिक धर्म रूकने को गर्भधारण या गर्भ ठहरना माना जाता है। गर्भवती स्त्री को गर्भकाल में सामान्य से अधिक पौष्टि भोजन दिया जाता है। इस दौरान प्रारंभिक एवं मध्यकाल तक दैनिक कार्यों का सामान्य निपटारा किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति में गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला अथवा गर्भस्थ शिशु हेतु को धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। जबकि गर्भवती स्त्री को नये या बढ़ते फूल पत्ते या शाखा को तोड़ने पर निषेध होता है। प्रसव घर के समीप बनी **''कुरमा लोन''** में होता है। प्रसव में ग्रामीण दो–तीन महिलाएं मदद करती हैं। नाल काटने के लिए चाकू या तीर का उपयोग किया जाता है।

प्रसूता स्त्री को शिशु जन्म से आठ दिनों तक ''कुरमा लोन'' में रहना पड़ता है, इस अवधि में शिशु के पिता भी कुछ नियमों व निषेधों का पालन करता है। नाल झड़ने अथवा आठ दिन बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति में पुनर्जन्म पर अधिक विश्वास किया जाता है। शिशु को अपने पारंपरिक विधि से किस पूर्वज का पुनर्जन्म हुआ है, ज्ञात कर उसे पूर्व जन्म का नाम दे दिया जाता है।

विवाह संस्कार

अबुझमाड़िया जनजाति में एकल एवं बहुपत्नी दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित है। इनमें विवाह ककसाड़ त्यौहार मनाने के पश्चात माह मई–जून से प्रारंभ होता है। अबुझमाड़िया जनजाति में अधिमान्यता के आधार पर ममेरे–फूफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें वधू–मूल्य प्रथा प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष वधू पक्ष को, शराब, रूपये, अनाज, मुर्गा, दो कपड़े – **तलदोपा (पगड़ी) व पिंगोड़ गेतलांग** देता है। अबुझमाड़िया जनजाति में सामान्यतः **सहमति विवाह (तालकोवायता)** अधिक होता है। इसके अलावा **लमसेना विवाह (लामड़े वायता) विनिमय विवाह (कोविडिदांग), पलायन या प्रेम विवाह (गोचूर वायता), अपहरण विवाह (पोयस तनाना) हठ विवाह (ओड़ी वायता)** एवं विधवा विवाह विधियों से भी अपना जीवनसाथी चुनने की प्रथा प्रचलित है। इनमें विवाह विच्छेद बहुत कम पाया जाता है।

मृत्यु संस्कार

अबुझमाड़िया जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार के संस्कार पाये जाते हैं। इनमें स्वाभाविक मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है तथा दुर्घटना, बीमारी, वन्य प्राणियों के हमले इत्यादि अस्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में शव को जलाया जाता है। अस्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में शव को श्मशान के स्थान पर दूर जंगल में जलाया जाता है। मृतक संस्कार में शव के सिर पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। मृत्यु संस्कार के दौरान मृतक के वस्तुओं को शव के साथ जला या दफना दिया जाता है।

दूसरे दिन मृतक स्मृति भूम जो श्मशान से दूर अलग–अलग गोत्र के लिए अलग–अलग स्थान निर्धारित होता है। वहां महुआ की लकड़ी स्थापित किया जाता है, मृतआत्मा की प्रसन्नता के लिए बली दी जाती है तथा गांव वालों को सामुहिक भोज दिया जाता है। मृत्यु के एक निश्चित अंतराल के पश्चात मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है, इनमें मान्यता है कि मृतक स्तंभ आकार में वृद्धि करता है, जो निर्धारित करता है कि आत्मा प्रसन्न है अथवा नहीं।

सामाजिक संरचना –

अबुझमाड़िया जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। अर्थात् परिवार का मुखिया पिता होता है। इनमें आवास के आधार पर पितृस्थानीय एवं नव–स्थानीय परिवार पाया जाता है। वंश परंपरा का संचालन पिता के आधार पर होते हैं, परिवार के सदस्य आपस में रक्त संबंधी होते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति में गठन के आधार पर एकल/केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं, वैवाहिक स्थिति के आधार पर एकल विवाही एवं बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं। इनमें नातेदारी व्यवस्था रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी होते हैं तथा आपस में परिहार एवं परिहास संबंधों में व्यवस्थित होते हैं।

अबुझमाड़िया जनजाति में विभिन्न गोत्र एवं उनके गोत्र चिन्ह पाये जाते हैं। संपूर्ण अबुझमाड़िया जनजाति का गोत्र, वैवाहिक तथा सामाजिक संबंधों के आधार पर अक्कोमामा एवं दादाभाई दो बहिर्विवाही अर्धांषों में विभक्त है। **"अक्कोमामा"** वैवाहिक संबंधी गोत्र तथा **"दादा भाई"** रक्त संबंधी गोत्र के लिए प्रयुक्त होता है। अबुझमाड़िया जनजाति के प्रमुख गोत्र **वड्डे, कुमेटी, दोरपा, उसेंडी, कर्मा, जुर्री वड्दा, नुरेटी, मंडावी, गोटा, जाटा** आदि है। गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है तथा प्रत्येक गोत्र के सदस्य किसी विशिष्ट देवी या देवता को अपना प्रमुख देव मानते हैं।

घोटूल –

अबुझमाड़िया जनजाति में घोटुल या युवा गृह पाया जाता है जो इनकी प्रमुख सामाजिक, शैक्षणिक एवं मनोरंजन का केन्द्र होता है। घोटूल में 8–10 वर्ष के बालक–बालिकाओं की सदस्यता प्रारंभ होती है तथा इनकी सदस्यता विवाह तक रहती है। **घोटूल में बालकों को "लेयोर" तथा बालिकाओं को "लयस्कू"** कहा जाता है। घोटूल या युवागृह अविवाहित युवक–युवतियों का मनोरंजन, सह–शिक्षा केन्द्र, अतिथि गृह तथा सभागृह होता है, जिसमें सदस्य प्रतिदिन शाम को घोटूल में एकत्र होते हें। जहां उन्हें मनोरंजन के साथ–साथ भावी जीवनोपयोगी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। घोटूल का वरिष्ठ सदस्य **"पटेल" (मुखिया)** होता है तथा उसके सहयोग के लिए एक **"कोटवार"**

युवक तथा एक **"कोटवारिन" युवती** होती है जिनके द्वारा घोटूल का संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है। अतिथियों को रूकने के लिए स्थान घोटूल में तथा भोजन की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शोक, विवाह, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सेवा एवं त्यौहारों आदि अवसरों पर घोटूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक जीवन –

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन वनोपज संकलन, पशुपालन, छोटे–छोटे जीव–जन्तुओं का शिकार, मछली पालन, एवं आदिम कृषि पर आधारित है। इनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः प्रकृति पर आधारित तथा जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था है।

वनों से **वनोपज, कंदमूल, फल, शहद, कोसा, गोंद, चिरौंजी, मशरूम, करील, महुआ, झाड़ू** एकत्र कर विनिमय कर अर्थोपार्जन से जीवन निर्वाह करते हैं।

अबुझमाड़िया जनजाति शिकार में दक्ष होते हैं और तीर–धनुष, फरसा आदि से जंगल के छोटे–बड़े जीव–जन्तुओं, पशु–पक्षियों का शिकार करते हैं। वर्षाकाल में नदी–नालों, तालाबों से मछली, केकड़ा, कछुआ आदि पकड़ते हैं।

पशुपालन के रूप में **गाय, बैल, बकरा–बकरी, सुअर, मुर्गा–मुर्गी** आदि पालते हैं। ये जनजाति वनभूमि में पेंदा कृषि तथा स्वयं की उपलब्ध कृषि में आदिम पद्धति से कृषि करते हैं तथा **धान, कोदो, कुटकी, मड़िया, कोसरा, उड़द, तील एवं मक्का** आदि की खेती करते हैं।

धार्मिक जीवन –

अबुझमाड़िया जनजाति प्राकृतिक शक्तियों, पूर्वज देव, गोत्र, धर्म तथा आत्मा पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है। इनमें गोत्र देव जो कि प्राकृतिक वस्तुएं, पशु–पक्षी, पहाड़, चट्टान वनस्पति जीव–जन्तु होता है की पूजा करते हैं। इस जनजाति में विश्वास है कि उनके पूर्वज गोत्र का संस्थापक है और वे उनके वंशज है।

ग्राम स्तर पर ''लातुर देवी'' की पूजा की जाती है, लातूर से तात्पर्य वह भू–क्षेत्र जहां तक उस ग्राम की सीमा होती है। लातूर देवी का निवास क्षेत्र के किसी पहाड़ में होता है जो फसलों का संरक्षण एवं ग्राम में आने वाली आपदाओं से रक्षा करता है।

ग्राम स्तर पर ही मातृदेवी या तलोक देवी जो ग्राम के मध्य माता गुड़ी में स्थापित होती है, जिसकी पूजा गायता या पुजारी द्वारा किया जाता है। तिलोक देवी की पूजा त्यौहारों एवं अन्य अवसरों पर की जाती है जो जंगली पशुओं, प्राकृतिक आपदा, बुरी शक्ति, रोग तथा महामारी से रक्षा करती है।

घर में पूर्वज देव (मृत पूर्वजों) के लिए अलग कमरा ''अनाल पेन'' होता है, जो उनके परिवार की रक्षा एवं मार्गदर्शन करती है। त्यौहार एवं विभिन्न अवसरों पर, खाद्यान्न सल्फी, शराब तथा मुर्गी आदि की बली दी जाती है।

अबुझमाड़िया जनजाति में उपरोक्त देवी–देवताओं के अलावा भंगाराय, भैरमदेव, करंगा तथा अन्य स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा करते हैं।

अबुझमाड़िया प्रकृति के उपासक है तथा विभिन्न तीज–त्यौहारों एवं नये फसल, फल, सब्जियों के आने पर प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवी–देवताओं नई फसल, फल व सब्जियां अर्पित करते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार विजा कोडतांग (हरियाली) जोन्ना कोड़तांग (मक्का खाने का) वन्जा कोड़तांग (नवाखानी), पूना कोहला (नया कोसरा खानी) ककसाड़ जाता (गोत्र देव की पूजा) है।

राजनैतिक संगठन –

अबुझमाड़िया जनजाति में अपनी एक परंपरागत जाति पंचायत पायी जाती है। इसमें ग्राम छोटे–छोटे पारों या टोलों में दूर–दूर बसे होते हैं। पारा/टोला के मुखिया को पंच कहा जाता है तथा अनेक पारों से मिलकर बने ग्राम प्रमुख को ''पटेल'' कहा जाता है। ग्राम के छोटे–छोटे सामाजिक समस्याओं का निपटारा पटेल अपने पंचों एवं ग्राम वरिष्ठ सदस्यों एवं बुजुर्गों के माध्यम से करते हैं। पटेल, गायता के साथ पेंदा भूमि की खोज व वितरण का कार्य करता है।

अनेक ग्रामों से मिलकर परगना बनता हैं अबुझमाड़ अनेक परगना क्षेत्रों में विभाजित है तथा इनका मुखिया ''परगना मांझी'' होता है। ''परगना माझी'' परगना के ग्रामों के पटेल का नेतृत्व करता है। परगना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा गांवों से संबंधित मामलों का निपटारा, किसी विवाद अथवा समस्याओं का ग्राम पटेलों के साथ मिलकर उचित समाधान करना परगना माझी का प्रमुख उत्तर दायित्व होता है।

==0==

अध्याय – तीन
क्षेत्र एवं ग्राम परिचय

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में निवासरत हैं। सर्वेक्षित अबुझमाड़िया जनजाति का क्षेत्र एवं ग्राम परिचय निम्नानुसार है :–

अबुझमाड़ क्षेत्र –

अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र गहन वन एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र है तथा यहां के निवासियों को अबुझमाड़िया कहा जाता है। **हिस्लॉप (1876) ने "हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग–2" में "अबुझमाड़"** शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह एक पृथक मानव समूह देश के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र में रहता है जिसे **"माडियान" या "अबुझमाड़"** के नाम से जाना जाता है। अबुझमाड़ अबूझ अर्थात् **"अनजान" तथा माड़ अर्थात "पहाड़ी"** से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ अनजान पहाड़ी होता है और इसमें निवास करने वाले अनजान पहाड़ियों के निवासी अर्थात अबुझमाड़िया कहलाते हैं।

अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर जिले के ओरछा तहसील में बहुतायत से तथा कम संख्या में नारायणपुर तहसील में निवासरत है। अबूझमाड़ क्षेत्र का क्षेत्रफल 3905 वर्ग कि.मी. है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में 95 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चित दिशा में 55 कि.मी. तक फैला हैं अबूझमाड़ 19^0–20^0 उत्तरीय अक्षांश से $80^0$39–$81^0$39 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनगणना 2001 के अनुसार अबूझमाड़ क्षेत्र में कुल 237 ग्राम हैं जिनमें से 201 आबाद ग्राम तथा 36 विरान ग्राम है। अबूझमाड़िया विकास अभिकरण के सर्वेक्षण 2002 अनुसार अबूझमाड़िया जनजाति की जनसंख्या 19401 है जिसमें 9602 पुरूष एवं 9799 महिला तथा लिंगानुपात 1021 तथा साक्षरता दर 18.81 प्रतिशत है।

अबुझमाड़ क्षेत्र वनों एवं पहाड़ियों से आच्छादित है। इस क्षेत्र के वनों में साल, सागौन, बीजा, आम, इमली, धवड़ा, हर्रा, बहेड़ा, हल्दू, जामुन, तिमसा, कहुआ, बांस आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

क्षेत्र में वन्य प्राणियों के रूप में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, वन भैंसा, सोन कुत्ता, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, बंदर, साही, मोर, जंगली सुअर, नेवला आदि जंगली जीव–जन्तुएं पाई जाती हैं।

अबूझमाड़ क्षेत्र का वर्तमान तक वन एवं राजस्व सर्वेक्षण नहीं हुआ है। पूर्व में शासन द्वारा अबूझमाड़िया जनजाति की संस्कृति को संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रवेश वर्जित था।

अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र –

नारायणपुर जिले के अबूझमाड़िया जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 01
निवास क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण

जिला	विकासखण्ड	परिवार संख्या	जनसंख्या					
			पुरूष		स्त्री		योग	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नारायणपुर	नारायणपुर	154	344	3.01	382	3.22	726	3.12
	ओरछा	4631	11084	96.99	11499	96.78	22583	96.88
योग		**4785**	**11428**	**49.03**	**11881**	**50.97**	**23309**	**100.00**

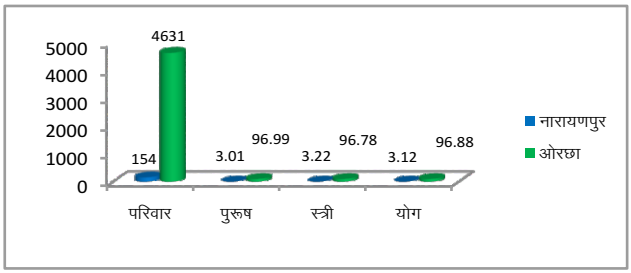

उपरोक्तानुसार नारायणपुर जिले के नारायणपुर विकासखण्ड के 13 ग्रामों के 154 परिवार में अबूझमाड़िया जनजाति के 726 जनसंख्या निवासरत हैं तथा ओरछा विकासखण्ड के 197 ग्रामों के 4631 परिवारों में 22583 जनसंख्या निवासरत हैं।

अध्याय – चार
सामाजिक जनांकिकीय

जिला एवं विकासखण्डवार परिवार संकेन्द्रण –

राज्य में सामाजिक जनांकिकीय दृष्टि से अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का जिले एवं विकासखण्डवार परिवार सकेन्द्रण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 02
विकासखण्डवार विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों का संकेन्द्रण

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	अबुझमाड़िया परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	नारायणपुर	नारायणपुर	154	3.22
		ओरछा	4631	96.78
योग			**4785**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में निवासरत हैं। उक्त जनजाति जिले के 2 आदिवासी विकासखण्डों नारायणपुर और ओरछा में निवासरत हैं। जिले में विकासखण्डवार परिवारों का संकेन्द्रण की दृष्टि से सर्वाधिक 96.78 प्रतिशत (4631 परिवार) ओरछा विकासखण्ड में निवासरत है तथा शेष 3.22 प्रतिशत् (154 परिवार) नारायणपुर विकासखण्ड में निवासरत है जिसकी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।

ग्रामवार परिवार संकेन्द्रण

छत्तीसगढ़ राज्य में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति बस्तर संभाग के 01 जिला नारायणपुर के 02 विकासखण्डों के निम्नांकित ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया परिवार निवासरत हैं –

तालिका क्रमांक 03
ग्रामवार विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों का संकेन्द्रण

जिला	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
2	3	4	5	6
नारायणपुर	नारायणपुर	खड़का गांव	3	1.92
		महका	3	1.92
		पालगी	4	2.56
		सुलंगा	4	2.56
		सोनपुर	1	0.64
		गरहबेगाल	2	1.28
		बकुलवाही	4	2.56
		झारा	1	0.64
		धोबई	1	0.64
		धनोरा	7	4.49
		कन्हारगांव	1	0.64
		नारायणपुर	120	76.92
	योग		**156**	**76.92**
	ओरछा	गुदाड़ी	96	2.07
		छिंदपुर	9	0.19
		मुतेनतोड़ा	11	0.24
		मेटनार अलियास	22	0.47
		नेडोनार		
		मंगबेड़ा	7	1.15
		कारवोर	4	0.09
		परिआदि	8	0.17
		कोटूर	11	0.24
		टेकमेटा	11	0.24
		कोंदाली	12	0.26
		ओरछापुर	4	0.09
		ओरछामेला	40	0.86
		घमाण्डी	12	0.26
		हिकोनार	4	0.09
		बड़ेबेडकोट	3	0.06

तालिका क्रमांक 03
ग्रामवार विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया
परिवारों का संकेन्द्रण

जिला	विकासखण्ड का नाम		ग्राम का नाम	परिवार	
				संख्या	प्रतिशत
2	3		4	5	6
नारायणपुर	नारायणपुर		खड़का गांव	3	1.92
			महका	3	1.92
			पालगी	4	2.56
			सुलंगा	4	2.56
			सोनपुर	1	0.64
			गरहबेगाल	2	1.28
			बकुलवाही	4	2.56
			झारा	1	0.64
			धोबई	1	0.64
			धनोरा	7	4.49
			कन्हारगांव	1	0.64
			नारायणपुर	120	76.92
	योग			**156**	**76.92**
	ओरछा		गुदाड़ी	96	2.07
			छिंदपुर	9	0.19
			मुतेनतोड़ा	11	0.24
			मेटनार अलियास	22	0.47
			नेडोनार		
			मंगबेड़ा	7	1.15
			कारवोर	4	0.09
			परिआदि	8	0.17
			कोटूर	11	0.24
			टेकमेटा	11	0.24
			कोंदाली	12	0.26
			ओरछापुर	4	0.09
			ओरछामेला	40	0.86
			घमाण्डी	12	0.26
			हिकोनार	4	0.09
			बड़ेबेडकोट	3	0.06

		गोमे	1	0.02
		मालमेटा	12	0.26
		रावणादि	5	0.09
		बिलेर	16	0.35
		कोडोनार	33	0.71
		मासपी	21	0.45
		बोरनिरपि	29	0.63
		कोंगे	61	1.32
		कोरास्कोडो	4	0.09
		मुहोपदर	19	0.41
		मुसपैरसी	12	0.26
		पदमकोट	40	0.86
		कस्तूरमेटा	13	0.28
		उसेबड़ा	23	0.50
		नेलंगूर	31	0.67
		कुतुल	82	1.77
		बयोनार	11	0.34
		ओरछाकोरई	4	0.09
		कोड़ेनार	8	0.17
		कुनार	4	0.09
		आलनार	14	0.30
		एहनर	38	0.65
		गुमिआबेदा	3	0.06
		वाला	25	0.54
		मुरनर	30	0.65
		बासिंग	17	0.37
		बेचा	22	0.47
		कोहकामेटा	142	3.07
		गोंगला	11	0.34
		गुरमुंजुर	1	0.02
		हॉलनर	52	1.12
		इरकभट्ठी	44	0.95
		विरपनर	14	0.30
		झरवाही	79	1.70
		धुता	1	0.02
		घोड़ेबेड़ा	58	1.25
		जुबेदा	47	1.01

		ओरछा	144	3.11
		गादड़ी	6	0.13
		ताड़ोनार	14	0.30
		तदन्तर (मरकड़ा बेड़ा)	1	0.02
		हिकपद	10	0.22
		नेडनर	35	0.76
		ओकपाद	15	0.32
		हरिमार्क	46	0.99
		कोड़कनार	13	0.28
		निरामेता	26	0.56
		तदोहर	14	0.30
		मोंहदी	24	0.52
		कोडोली	8	0.17
		अरूसणार अलैस खरगौ	20	0.43
		कंदापि	26	0.56
		जिवलपदर	7	0.18
		अलवर अलियास गत	9	0.19
		अकाबेड़ा	2	0.04
		कांडनर थलैस छोड़गाओ	6	0.13
		हिकमेटा	4	0.09
		गुटकल	23	0.50
		कोदलियार	30	0.65
		डुमनार	15	0.32
		कोडनर	17	0.37
		गुरदाई	59	1.27
		रायनर अलियास मत	45	0.97
		हस्नार	60	1.29
		मकसूली	1	0.02
		मंडली	38	0.82
		हर्बल	36	0.78
		आदरमाड	57	1.23
		कुडमल	97	2.09
		ढोनडरबेड़ा	48	1.03
		कोंडाकोटि	8	0.17
		कोटेनर	12	0.26
		कंगाली	4	0.09
		करकनर	4	0.09

		अकेली	1	0.02
		कलमानार	21	0.45
		कुतुलनार	25	0.54
		विरपनर	1	0.02
		दुर्बेड़ा	25	0.54
		खोड़पर	17	0.37
		गुम्मरका	44	0.95
		आदिमपर	12	0.26
		फरसबेड़ा	39	0.84
		रेंगबेड़ा	6	0.13
		तोयमेटा	22	0.47
		धोबी	30	0.65
		मेटाबेड़ा	18	0.39
		गतकाल	22	0.47
		मिचबेड़ा	8	0.17
		नलडर	32	0.69
		कस्टडी	10	0.22
		कोस्तमर्का	19	0.41
		इडनर	9	0.19
		गोमगाल	94	2.03
		चलचर	75	1.62
		कोहकापार	29	0.63
		कोडोली	17	0.37
		बड़े तोड़ा बेड़ा	47	1.01
		जुलगुण्डा	76	1.64
		छोटे तोड़ा बेड़ा	36	0.78
		पडम्ता	35	0.75
		करगुल	37	0.80
		लंका	56	1.21
		रेकपाल	10	0.22
		मुरूमवादा	62	1.33
		कोदिमार्क	33	0.71
		जाटलुर	70	1.51
		दीपालूर	14	0.30
		बोटर	24	0.52
		गडकोट	15	0.32
		एड़समेटा	3	0.06

		कोमहू	10	0.22
		लेकवाड़ा	27	0.58
		टहकवाड़ा	12	0.26
		टूंगा	7	0.19
		पीडियाकोट	16	0.24
		घोट	4	0.09
		कल्लाजा	8	0.17
		अलविदा	9	0.19
		टूमेली	8	0.17
		बिलर	2	0.04
		कोरोबाया	5	0.09
		पोचवाड़ा	12	0.26
		हितुल	23	0.50
		थुलथुली	47	1.01
		नेटुर	18	0.39
		रोटड	27	0.58
		रकवापा	10	0.22
		मेदमवाड़ा	15	0.32
		तदन्तर	6	0.13
		बेटेकल	12	0.26
		भटबेन्डा	7	0.19
		मुंगडी	18	0.39
		मोहनर	9	0.19
		हितुल	54	1.17
		चिहुकपाल	25	0.54
		तोयनार	55	1.88
		पटलनर	25	0.17
		टहकवाड़ा	30	0.65
		हंदवाड़ा	20	0.43
		हितवाड़ा	81	1.75
		अल्बेड़ा	28	0.60
		माटबेड़ा	16	0.34
	योग		**4631**	**96.78**
महायोग			**4785**	**100.00**

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का संकेन्द्रण राज्य के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के 02 विकासखण्डों नारायणपुर एवं ओरछा के

210 ग्रामों में है। उक्त ग्रामों में अबुझमाड़िया जनजाति के कुल 4785 परिवार निवासरत हैं।

परिवार प्रकार (FAMILY TYPE)

कोई भी समाज चाहे वह ग्रामीण, शहरी अथवा जनजातीय समाज हो, उसमें सामाजिक स्थायित्व एवं सुरक्षा के दृष्टिगत परिवार की अवधारणा विद्यमान होती है। परिवार एक सामाजिक संस्था होती है जिसमें विवाहित जोड़ों एवं उनके रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदार सहित निवास करते हैं, जिसके आधार पर उन्हें केन्द्रीय संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

सर्वेक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया परिवार के प्रकार का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 04
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में परिवार का प्रकार

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	केन्द्रीय परिवार	4266	89.15
2	संयुक्त परिवार	508	10.62
3	विस्तृत परिवार	11	0.23
योग		**4785**	**100.00**

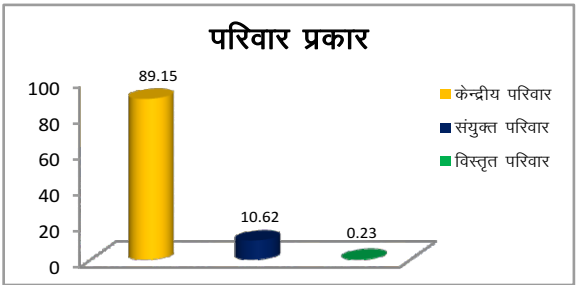

उपरोक्त तालिका में दर्शित आंकड़ों के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया में सर्वाधिक 89.15 प्रतिशत (4266 परिवार) केन्द्रीय अथवा मूल प्रकृति की है, जिसमें एक विवाहित जोड़ा एवं उनकी संतानें निवास करती हैं। 10.62 प्रतिशत (508) परिवार संयुक्त प्रकार के पाये गये जिसमें एक से अधिक विवाहित जोड़ा एवं उनकी संतान निवासरत पाये गये।

विस्तृत प्रकृतिक के परिवार जिसमें रक्त संबंधियों के एक से अधिक विवाहित जोड़े के अतिरिक्त विवाह संबंधी नातेदारों के वैवाहिक जोड़े एवं उनकी संतानें निवासरत हैं, जिनकी संख्या बहुत कम 0.23 प्रतिशत (11 परिवार) पायी गयी।

जनजातियों में तुलनात्मक रूप से केन्द्रीय अथवा मूल परिवारों का प्रचलन अधिक पाया जाता है जहां पुत्र विवाहोपरांत अपने माता–पिता से पृथक होकर नवीन आवास गृह का निर्माण कर अपने बच्चों व परिवार का पालन–पोषण करता है।

जनसंख्या (POPULATION)

छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के 2 विकासखण्डों नारायणपुर एवं ओरछा में निवासरत अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 05

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया की जनसंख्या का वितरण

क्र.	जनसंख्या					
	पुरूष		स्त्री		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	11428	49.03	11881	50.97	23309	100.00
कुल परिवार 4785						

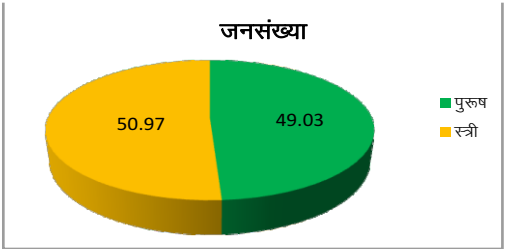

उपरोक्त तालिका में दर्शित है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के नारायणपुर जिले के 02 विकासखण्डों में निवासरत 4785 परिवारों में कुल जनसंख्या 23309 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 11428 (49.03 प्रतिशत) एवं स्त्री जनसंख्या 11881 (50.97 पतिशत) पायी गई।

जिला एवं विकासखण्डवार जनसंख्या

राज्य में निवासरत अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का जिला एवं विकासखण्डवार विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 06
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया का विकासखण्डवार वितरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	परिवार संख्या	जनसंख्या					
				पुरूष		स्त्री		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नारायणपुर	नारायणपुर	154	344	3.01	382	3.22	726	3.12
		ओरछा	4631	11084	96.99	11499	96.78	22583	96.88
योग			**4785**	**11428**	**49.03**	**11881**	**50.97**	**23309**	**100.00**

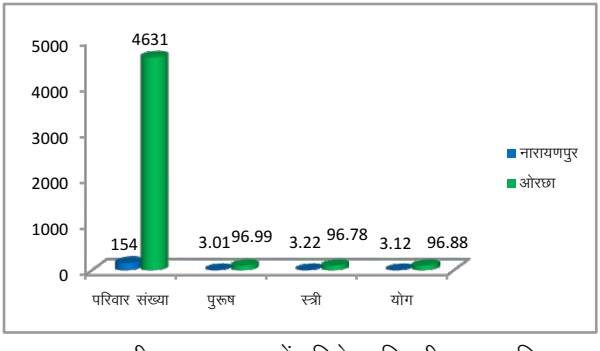

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया का संकेन्द्रण एक ही जिले नारायणपुर में केन्द्रित है जो कि जिले के दो विकासखण्डों नारायणपुर एवं ओरछा में निवासरत पाये गये।

तालिका से स्पष्ट होता है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या का 96.88 प्रतिशत (छ–22583) जनसंख्या ओरछा विकासखण्ड में निवासरत पाये गये जिसमें पुरूष जनसंख्या 11084 (96.99 प्रतिशत) एवं स्त्री जनसंख्या 11499 (96.78 प्रतिशत) है।

नारायणपुर विकासखण्ड में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या का मात्र 3.12 प्रतिशत (छ–726) जनसंख्या निवासरत हैं जिसमें पुरूष जनसंख्या 344 (3.01 प्रतिशत) एवं स्त्री जनसंख्या 382 (3.22 प्रतिशत) है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया का अधिकांश जनसंख्या नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड में निवासरत है।

ग्रामवार जनसंख्या विवरण –

छत्तीसगढ़ राज्य में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के अबुझमाड़िया विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची (पूर्व के सर्वेक्षण) में राज्य के नारायणपुर जिले के 02 विकासखण्डों के 249 ग्रामों में अबुझमाड़िया जनजाति परिवार निवासरत पाये गये थे। अर्थात् आबाद ग्रामों की संख्या 249 थी। वर्ष 2016–17 के आधारभूत सर्वेक्षण में उपरोक्त 249 ग्रामों में से 39 ग्राम विरान ग्राम पाये गये।

वर्तमान सर्वेक्षण (वर्ष 2016–17) के आधार पर 210 आबाद ग्राम पाये गये जहां 4785 अबुझमाड़िया परिवार निवासरत है। उक्त अबुझमाड़िया निवासरत 210 आबाद ग्रामों की ग्रामवार जनसंख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 07
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया के ग्रामवार जनसंख्या का वितरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	परिवार संख्या	जनसंख्या		
					पुरूष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायणपुर	नारायणपुर	खड़कागांव	3	12	8	20
2	नारायणपुर	नारायणपुर	महका	3	7	10	17
3	नारायणपुर	नारायणपुर	पालगी	4	10	16	26
4	नारायणपुर	नारायणपुर	सुलंगा	4	9	9	18

5	नारायणपुर	नारायणपुर	सोनपुर	1	3	1	4
6	नारायणपुर	नारायणपुर	गरहबेगाल	2	4	3	7
7	नारायणपुर	नारायणपुर	बकुलवाही	4	13	11	24
8	नारायणपुर	नारायणपुर	झारा	1	2	1	3
9	नारायणपुर	नारायणपुर	धोबई	1	3	2	5
10	नारायणपुर	नारायणपुर	धनोरा	7	16	22	38
11	नारायणपुर	नारायणपुर	कन्हारगांव	1	2	1	3
12	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	120	255	294	549
योग				**151**	**344**	**382**	**726**
1	नारायणपुर	ओरछा	गुदाड़ी	96	210	252	462
2	नारायणपुर	ओरछा	छिंदपुर	9	23	22	45
3	नारायणपुर	ओरछा	मुतेनतोड़ा	11	28	30	58
4	नारायणपुर	ओरछा	मेटनार अलियास नेडोनार	22	50	61	111
5	नारायणपुर	ओरछा	मंगबेड़ा	7	18	14	32
6	नारायणपुर	ओरछा	कारवोर	4	14	17	31
7	नारायणपुर	ओरछा	परिआदि	8	23	22	45
8	नारायणपुर	ओरछा	कोढूर	11	39	47	86
9	नारायणपुर	ओरछा	टेकमेटा	11	31	27	58
10	नारायणपुर	ओरछा	कोंगाली	12	32	32	64
11	नारायणपुर	ओरछा	ओरछापुर	4	12	7	19
12	नारायणपुर	ओरछा	ओरछामेला	40	89	116	205
13	नारायणपुर	ओरछा	घमाण्डी	12	27	25	52
14	नारायणपुर	ओरछा	हिकोनार	4	9	12	21
15	नारायणपुर	ओरछा	बड़ेबेडकोट	3	14	10	24
16	नारायणपुर	ओरछा	गोडेलमार्का	5	14	16	30
17	नारायणपुर	ओरछा	गुंमचुर	3	11	13	24
18	नारायणपुर	ओरछा	तुमिरादि	30	68	70	138
19	नारायणपुर	ओरछा	तुडको	18	36	34	70
20	नारायणपुर	ओरछा	तड़ोबेड़ा	13	33	29	62

21	नारायणपुर	ओरछा	मसपुर	36	110	98	208
22	नारायणपुर	ओरछा	बलबेड़ा उर्फ पालमेटा	15	37	47	84
23	नारायणपुर	ओरछा	होरादि	9	16	23	39
24	नारायणपुर	ओरछा	हीरांगणार	2	3	3	6
25	नारायणपुर	ओरछा	जाटवर	13	29	31	60
26	नारायणपुर	ओरछा	बोगन	19	52	47	99
27	नारायणपुर	ओरछा	कारकाबेड़ा	15	37	39	76
28	नारायणपुर	ओरछा	कदर	32	82	83	165
29	नारायणपुर	ओरछा	मरकुंड	4	15	12	27
30	नारायणपुर	ओरछा	ब्रेहबेड़ा	28	71	63	134
31	नारायणपुर	ओरछा	सरगीपाल	24	79	75	154
32	नारायणपुर	ओरछा	कुण्डला	24	57	59	116
33	नारायणपुर	ओरछा	कनागाओ	33	96	78	174
34	नारायणपुर	ओरछा	गड़ावहि	3	5	5	10
35	नारायणपुर	ओरछा	गुनेर	6	10	13	23
36	नारायणपुर	ओरछा	कच्चापाल	24	64	65	129
37	नारायणपुर	ओरछा	तोके	36	101	122	223
38	नारायणपुर	ओरछा	हचकोटि (माघ)	2	7	6	13
39	नारायणपुर	ओरछा	बिनगुंडा	27	72	72	144
40	नारायणपुर	ओरछा	झरवार	9	18	14	32
41	नारायणपुर	ओरछा	पांगुड	27	62	78	140
42	नारायणपुर	ओरछा	टहककोंद	37	88	92	180
43	नारायणपुर	ओरछा	कोंजे	8	18	13	31
44	नारायणपुर	ओरछा	वडपेंडा	13	40	25	65
45	नारायणपुर	ओरछा	पलहुर	5	11	13	24
46	नारायणपुर	ओरछा	गरपा	48	124	128	252

47	नारायणपुर	ओरछा	घुमा	10	23	17	40
48	नारायणपुर	ओरछा	मरकाबेड़ा	18	50	40	90
49	नारायणपुर	ओरछा	मुतेनादि	2	3	6	9
50	नारायणपुर	ओरछा	मुरसुलनपा	2	12	8	20
51	नारायणपुर	ओरछा	वडनार	7	23	27	50
52	नारायणपुर	ओरछा	तादोगुन्दा	6	11	16	27
53	नारायणपुर	ओरछा	हकोमल	3	6	7	13
54	नारायणपुर	ओरछा	गोमे	1	2	2	4
55	नारायणपुर	ओरछा	मालमेटा	12	45	36	81
56	नारायणपुर	ओरछा	रावणादि	5	20	15	35
57	नारायणपुर	ओरछा	बिलेर	16	54	48	102
58	नारायणपुर	ओरछा	कोडोनार	33	71	61	132
59	नारायणपुर	ओरछा	मासपी	21	40	42	82
60	नारायणपुर	ओरछा	बोरनिरपि	29	81	73	154
61	नारायणपुर	ओरछा	कोंगे	61	133	128	261
62	नारायणपुर	ओरछा	कोरास्कोडो	4	10	6	16
63	नारायणपुर	ओरछा	मुहोपदर	19	48	51	99
64	नारायणपुर	ओरछा	मुसपैरसी	12	29	27	56
65	नारायणपुर	ओरछा	पदमकोट	40	80	89	169
66	नारायणपुर	ओरछा	कस्तूरमेटा	13	27	21	48
67	नारायणपुर	ओरछा	उसेबड़ा	23	55	54	109
68	नारायणपुर	ओरछा	नेलंगूर	31	69	71	140
69	नारायणपुर	ओरछा	कुतुल	82	221	219	440
70	नारायणपुर	ओरछा	बयोनार	11	24	24	48
71	नारायणपुर	ओरछा	ओरछा कोरई	4	11	8	19
72	नारायणपुर	ओरछा	कोड़ेनार	8	17	23	40

73	नारायणपुर	ओरछा	कुनार	4	8	10	18
74	नारायणपुर	ओरछा	आलनार	14	36	29	65
75	नारायणपुर	ओरछा	एहनर	38	81	75	156
76	नारायणपुर	ओरछा	गुमिआबेदा	3	3	9	12
77	नारायणपुर	ओरछा	वाला	25	49	62	111
78	नारायणपुर	ओरछा	मुरनर	30	90	76	166
79	नारायणपुर	ओरछा	बासिंग	17	36	39	75
80	नारायणपुर	ओरछा	बेचा	22	70	63	133
81	नारायणपुर	ओरछा	कोहकामेटा	142	385	386	771
82	नारायणपुर	ओरछा	गोंगला	11	37	37	74
83	नारायणपुर	ओरछा	गुरमंजुर	1	2	2	4
84	नारायणपुर	ओरछा	हॉलनर	52	121	115	236
85	नारायणपुर	ओरछा	इरकभट्ठी	44	103	134	237
86	नारायणपुर	ओरछा	विरपनर	14	31	31	62
87	नारायणपुर	ओरछा	झरवाही	79	167	167	334
88	नारायणपुर	ओरछा	धुता	1	1	2	3
89	नारायणपुर	ओरछा	घोड़ेबेड़ा	10	32	24	56
90	नारायणपुर	ओरछा	मरकाबेड़ा	58	139	142	281
91	नारायणपुर	ओरछा	जुबेदा	47	80	106	186
92	नारायणपुर	ओरछा	ओरछा	144	287	317	604
93	नारायणपुर	ओरछा	गादड़ी	6	18	17	35
94	नारायणपुर	ओरछा	ताड़ोनार	14	23	42	65
95	नारायणपुर	ओरछा	तदन्तजर (मरकड़ाबेड़ा)	1	5	3	8
96	नारायणपुर	ओरछा	हिकपद	10	33	27	60
97	नारायणपुर	ओरछा	नेडनर	35	64	79	143
98	नारायणपुर	ओरछा	ओकपाद	15	33	28	61

99	नारायणपुर	ओरछा	हरिमार्क	46	100	112	212
100	नारायणपुर	ओरछा	कोड़कनार	13	35	44	79
101	नारायणपुर	ओरछा	निरामेता	26	73	66	139
102	नारायणपुर	ओरछा	तदोहर	14	34	32	66
103	नारायणपुर	ओरछा	मोहंदी	24	48	35	83
104	नारायणपुर	ओरछा	कोडोली	8	17	17	34
105	नारायणपुर	ओरछा	अरूसणार अलैस (खरगो)	20	43	34	77
106	नारायणपुर	ओरछा	कंदादि	26	59	67	126
107	नारायणपुर	ओरछा	जिवलपदर	7	20	16	36
108	नारायणपुर	ओरछा	अलवर अलियास गत	9	31	24	55
109	नारायणपुर	ओरछा	अकाबेड़ा	2	7	9	16
110	नारायणपुर	ओरछा	कांडनर अलैस घोड़गाओं	6	10	8	18
111	नारायणपुर	ओरछा	हिकमेटा	4	12	9	21
112	नारायणपुर	ओरछा	गुटकल	23	46	54	100
113	नारायणपुर	ओरछा	कोदलियार	30	129	106	235
114	नारायणपुर	ओरछा	डुमनार	15	40	50	90
115	नारायणपुर	ओरछा	कोडनर	17	35	36	71
116	नारायणपुर	ओरछा	गुरदाई	59	133	128	261
117	नारायणपुर	ओरछा	रायनर अलियास मत	45	91	130	221
118	नारायणपुर	ओरछा	हस्नार	60	157	169	326
119	नारायणपुर	ओरछा	मकसूली	1	5	3	8
120	नारायणपुर	ओरछा	मंडली	38	75	63	138
121	नारायणपुर	ओरछा	हर्बल	36	99	99	198
122	नारायणपुर	ओरछा	आदरमाड	57	135	144	279
123	नारायणपुर	ओरछा	कुडमल	97	190	214	404

124	नारायणपुर	ओरछा	ढोनडरबेड़ा	48	104	112	216
125	नारायणपुर	ओरछा	कोंडाकोटि	8	17	21	38
126	नारायणपुर	ओरछा	कोटेनर	12	25	35	60
127	नारायणपुर	ओरछा	कंगाली	4	10	13	23
128	नारायणपुर	ओरछा	करकनर	4	9	11	20
129	नारायणपुर	ओरछा	अकेली	1	3	1	4
130	नारायणपुर	ओरछा	कलमानार	21	45	53	98
131	नारायणपुर	ओरछा	कुतुलनार	25	73	59	132
132	नारायणपुर	ओरछा	विरपनर	1	5	6	11
133	नारायणपुर	ओरछा	दुर्बेडा	25	59	54	113
134	नारायणपुर	ओरछा	खोड़पर	17	46	45	91
135	नारायणपुर	ओरछा	गुम्मरका	44	97	104	201
136	नारायणपुर	ओरछा	आदिमपर	12	33	27	60
137	नारायणपुर	ओरछा	फरसबेड़ा	39	87	84	171
138	नारायणपुर	ओरछा	रेंगबेड़ा	6	12	26	38
139	नारायणपुर	ओरछा	तोयमेटा	22	53	51	104
140	नारायणपुर	ओरछा	धोबी	30	89	75	164
141	नारायणपुर	ओरछा	मेटाबेड़ा	18	42	46	88
142	नारायणपुर	ओरछा	गतकाल	22	70	58	128
143	नारायणपुर	ओरछा	मिचबेड़ा	8	12	26	38
144	नारायणपुर	ओरछा	नलडर	32	79	66	145
145	नारायणपुर	ओरछा	कस्टडी	10	18	22	40
146	नारायणपुर	ओरछा	कोस्तमर्का	19	38	39	77
147	नारायणपुर	ओरछा	इडनर	9	17	29	46
148	नारायणपुर	ओरछा	गोमगाल	94	200	229	429
149	नारायणपुर	ओरछा	चलचर	75	204	192	396

150	नारायणपुर	ओरछा	कोहकापार	29	55	72	127
151	नारायणपुर	ओरछा	कोडोली	17	39	37	76
152	नारायणपुर	ओरछा	बड़े तोड़ाबेड़ा	47	79	106	185
153	नारायणपुर	ओरछा	जुब्गुण्डा	76	174	183	357
154	नारायणपुर	ओरछा	छोटे तोड़ाबेड़ा	36	95	95	190
155	नारायणपुर	ओरछा	पडम्ता	35	69	81	150
156	नारायणपुर	ओरछा	करगुल	37	123	112	235
157	नारायणपुर	ओरछा	लंका	56	155	162	317
158	नारायणपुर	ओरछा	रेकपाल	10	24	23	47
159	नारायणपुर	ओरछा	मुरूमवादा	62	148	169	317
160	नारायणपुर	ओरछा	दोदिमार्क	33	90	90	180
161	नारायणपुर	ओरछा	जाटलुर	70	200	235	435
162	नारायणपुर	ओरछा	दीवालूर	14	28	29	57
163	नारायणपुर	ओरछा	बोटर	24	61	59	120
164	नारायणपुर	ओरछा	गडकोट	15	26	29	55
165	नारायणपुर	ओरछा	एडसमेटा	3	7	10	17
166	नारायणपुर	ओरछा	कोमहू	10	26	36	62
167	नारायणपुर	ओरछा	लेकवाड़ा	27	66	69	135
168	नारायणपुर	ओरछा	टहकवाड़ा	12	27	23	50
169	नारायणपुर	ओरछा	टूंगा	7	16	23	39
170	नारायणपुर	ओरछा	पीडियाकोट	16	44	41	85
171	नारायणपुर	ओरछा	घोट	4	6	9	15
172	नारायणपुर	ओरछा	कल्लाजा	8	18	21	39
173	नारायणपुर	ओरछा	अलविदा	9	18	18	36
174	नारायणपुर	ओरछा	दूसेली	8	22	17	39
175	नारायणपुर	ओरछा	बिलर	2	7	6	13

176	नारायणपुर	ओरछा	कोरोबाया	5	7	14	21
177	नारायणपुर	ओरछा	पोचवाड़ा	12	18	27	45
178	नारायणपुर	ओरछा	हितुल	23	50	61	111
179	नारायणपुर	ओरछा	थुलथुली	47	142	145	287
180	नारायणपुर	ओरछा	नेदुर	18	34	31	65
181	नारायणपुर	ओरछा	रोटड	27	67	64	131
182	नारायणपुर	ओरछा	रकवाया	10	20	24	44
183	नारायणपुर	ओरछा	मेदमवाड़ा	15	35	32	67
184	नारायणपुर	ओरछा	तदन्तर	6	18	16	34
185	नारायणपुर	ओरछा	बेटेकल	12	29	38	67
186	नारायणपुर	ओरछा	भटबेन्डा	7	20	16	36
187	नारायणपुर	ओरछा	मुंगडी	18	44	50	94
188	नारायणपुर	ओरछा	मोहनर	9	24	18	42
189	नारायणपुर	ओरछा	हितुल	54	122	133	255
190	नारायणपुर	ओरछा	चिहुकपाल	25	49	54	103
191	नारायणपुर	ओरछा	तोयनार	55	109	130	239
192	नारायणपुर	ओरछा	परलनर	25	55	49	104
193	नारायणपुर	ओरछा	टहकवाड़ा	30	57	51	108
194	नारायणपुर	ओरछा	हंदवाड़ा	20	40	48	88
195	नारायणपुर	ओरछा	हितवाड़ा	81	175	197	372
196	नारायणपुर	ओरछा	आल्बेड़ा	28	57	53	110
197	नारायणपुर	ओरछा	माटबेड़ा	16	34	39	73
योग				**4631**	**11084**	**11499**	**22594**
महायोग				**4782**	**11420**	**11881**	**23309**

विरान ग्राम का विवरण –

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण (वर्ष 2016–17) में 39 ग्राम विरान पाये गये जो अबुझमाड़िया विकास अभिकरण की सूची में आबाद ग्राम के रूप में चिन्हांकित कराया गया था। उक्त ग्रामों में निवासरत परिवार किसी अन्य ग्रामों में विस्थापित हो गये होंगे। सर्वेक्षित विरान ग्रामों की जो कि पूर्व में आबाद ग्राम के रूप में चिन्हांकित थी की सूची निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 08
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया के विरान ग्रामों की सूची

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	नारायणपुर	ओरछा	बटोर
2	नारायणपुर	ओरछा	ब्रेहबेड़ा
3	नारायणपुर	ओरछा	पालमेटा
4	नारायणपुर	ओरछा	कुमचल
5	नारायणपुर	ओरछा	गंडावर
6	नारायणपुर	ओरछा	गुम्दादी
7	नारायणपुर	ओरछा	गुदरापडेर अलियास
8	नारायणपुर	ओरछा	कुरूसणार अलियास
9	नारायणपुर	ओरछा	राणीमारका
10	नारायणपुर	ओरछा	पालमेटा
11	नारायणपुर	ओरछा	मुयानतेले
12	नारायणपुर	ओरछा	बोंदुम
13	नारायणपुर	ओरछा	छोटे बड़े कोट (मर)
14	नारायणपुर	ओरछा	दरगढ़
15	नारायणपुर	ओरछा	कोटमकोड़ो
16	नारायणपुर	ओरछा	करोहोमेड़ा
17	नारायणपुर	ओरछा	कोडेगाओ
18	नारायणपुर	ओरछा	ओसमरका
19	नारायणपुर	ओरछा	दौडगे
20	नारायणपुर	ओरछा	तुहानर
21	नारायणपुर	ओरछा	महकानार
22	नारायणपुर	ओरछा	गुमियापाल
23	नारायणपुर	ओरछा	नारिया
24	नारायणपुर	ओरछा	कुमनार
25	नारायणपुर	ओरछा	कोहकोड़ि

26	नारायणपुर	ओरछा	तलवाड़ा
27	नारायणपुर	ओरछा	हरगुन्दा
28	नारायणपुर	ओरछा	कुएं
29	नारायणपुर	ओरछा	कोरोबेंडा
30	नारायणपुर	ओरछा	कोडोकल
31	नारायणपुर	ओरछा	मुंगबेड़ा
32	नारायणपुर	ओरछा	आदोपरक
33	नारायणपुर	ओरछा	नेसपुर
34	नारायणपुर	ओरछा	बुरगुम
35	नारायणपुर	ओरछा	पाखुर
36	नारायणपुर	ओरछा	ओटेटोकड़ा
37	नारायणपुर	ओरछा	केशहूर
38	नारायणपुर	ओरछा	कालोली
39	नारायणपुर	ओरछा	खोड़पार

उम्र समूह अनुसार जनसंख्या

सामाजिक जनांकिकीय संरचना में किसी समुदाय की जनसंख्या का तथ्यात्मक दृष्टि से उम्र समूह अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण होता है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल जनसंख्या का उम्र समूह अनुसार जनसंख्या वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 09

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में उम्र समूह अनुसार जनसंख्या

क्र.	उम्र–समूह	जनसंख्या					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0–6	2108	18.45	2160	18.18	4268	18.31
2	7–14	2548	22.30	2284	19.22	4832	20.73
3	15–25	2441	21.36	2700	22.73	5141	22.06
4	26–45	2977	26.05	3045	25.63	6022	24.84
5	46–60	964	8.44	1101	9.27	2065	8.86
6	60 से अधिक	248	2.17	384	3.23	632	2.71

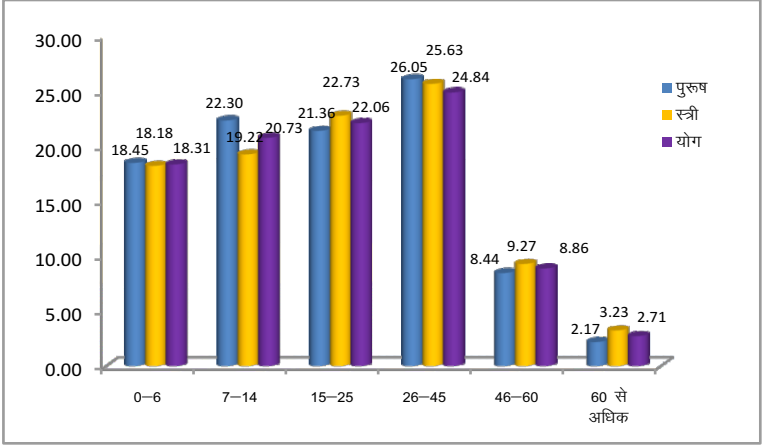

राज्य में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 23309 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 11428 तथा स्त्री जनसंख्या 11881 है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या 24.84 प्रतिशत (सं. 6022) 26–45 वर्ष उम्र समूह की है तत्पश्चात क्रमशः 22.06 प्रतिशत (सं. 5141) 15–25 वर्ष उम्र समूह, 20.73 प्रतिशत (सं. 4832) 7–14 वर्ष उम्र समूह, 18.31 प्रतिशत (सं. 4268) 0–6 वर्ष उम्र समूह, 8.86 प्रतिशत् (सं. 2065) 46–60 वर्ष उम्र समूह के है तथा सबसे कम जनसंख्या 2.71 प्रतिशत (सं. 632) 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र समूह के हैं।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण से स्पष्ट है कि उम्र समूह 15–25, 46–60 एवं 60 एवं अधिक उम्र समूहों में स्त्री जनसंख्या पुरूष जनसंख्या की तुलना में अधिक है।

लिंगानुपात (SEX-RATIO)

लिंगानुपात किसी भी समुदाय का सामाजिक जनांकिकीय वितरण का प्रमुख आधार होता है जो उस समाज के स्त्री–पुरूष की संख्या को दर्शाता है। लिंगानुपात से आशय है किसी समुदाय में प्रति हजार पुरूषों स्त्रियों की संख्या से है। जो उस समाज में स्त्री–पुरूषों की साम्यावस्था को बनाये रखने का कार्य करती है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 10
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में उम्र लिंगानुपात

क्र.	अबुझमाड़िया में लिंगानुपात		
	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	11428	11881	1040

उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण अनुसार अबुझमाड़िया स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1040 है जो कि जनगणना 2011 में राज्य की अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1020 से अधिक है।

विकासखण्डवार लिंगानुपात –

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य में बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला के 02 विकासखण्डों में निवासरत हैं। विकासखण्डवार स्त्री–पुरूष लिंगानुपात का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 11
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में विकासखण्डवार लिंगानुपात

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	विवरण		
			पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
1	नारायणपुर	नारायणपुर	344	382	1110
		ओरछा	11084	11499	1037

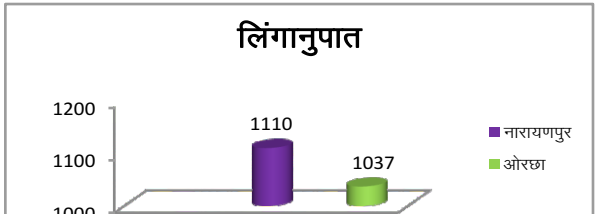

उपरोक्तानुसार तालिका से स्पष्ट है कि समस्त विकासखण्डों में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1000 से अधिक है। नारायणपुर विकासखण्ड में प्रति हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 1110 है जबकि ओरछा विकासखण्ड में प्रति हजार पुरूषों में स्त्रियों की संख्या 1037 है।

जनसंख्या वृद्धि दर (POPULATION GROWTH RATE)

किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या वृद्धि दर से आशय उस समुदाय के एक दशक में होने वाली जनसंख्यात्मक वृद्धि से है। भारत सरकार द्वारा किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उसमें किसी समाज/समुदाय के स्थिर जनसंख्या अथवा न्यून जनसंख्या वृद्धि दर भी एक प्रमुख मापदण्ड है।

किसी समूह अथवा समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है –

$$\frac{\text{दशकीय जनसंख्या का अंतर}}{\text{पूर्व दशक की जनसंख्या}} \times 100$$

अ. सर्वेक्षण (2002 (04–05) में अबुझमाड़िया जनसंख्या – 19401

ब. सर्वेक्षण 2015–16 में अबुझमाड़िया जनसंख्या – 23309

स. दशकीय जनसंख्या का अंतर (ब–अ = स) = 3908

अर्थात्

$$\frac{23309\ (\text{ब}) - 19401\ (\text{अ}) = 3908\ (\text{स.})}{19401} \times 100$$

$= 20.14$

अतः उपरोक्तानुसार राज्य की अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.14 प्रतिशत पायी गयी।

वैवाहिक स्थिति (MERITAL STATUS)

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की वैवाहिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 12
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में वैवाहिक स्थिति

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	4298	37.61	4281	36.03	8579	36.81
2	विधवा / विदुर परिव्यक्ता	1068	9.35	332	2.79	1400	6.01
योग		5366	46.95	4613	38.83	9979	42.81

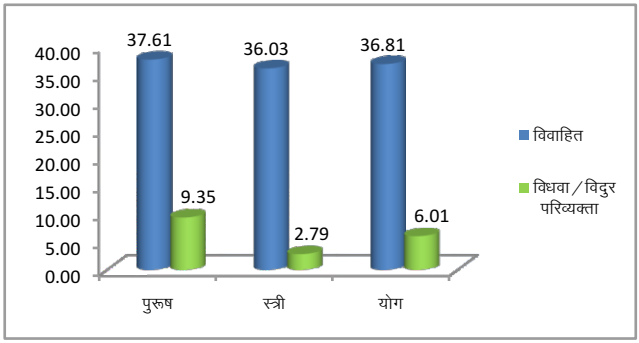

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 23309 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 11428 एवं 11881 स्त्री जनसंख्या है। उपरोक्त तालिका में अबुझमाड़िया जनजाति की वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में स्पष्ट है कि 37.61 प्रतिशत (सं. 4298) पुरूष एवं 36.03 प्रतिशत (सं. 4281) विवाहित है जबकि 9.35 प्रतिशत (सं. 1068) पुरूष विदुर एवं 2.79 प्रतिशत (सं. 332) स्त्रियां विधवा अथवा परित्यक्ता पाये गये।

सामुहिक रूप से 36.81 प्रतिशत (सं. 8579) पुरूष एवं स्त्रियां विवाहित एवं 6.01 प्रतिशत (सं. 1400) पुरूष–स्त्री विदुर / विधवा / परित्यक्ता पाये गये।

वैवाहिक उम्र (MARRIAGE AGE)

किसी भी समुदाय में सामाजिक नियंत्रण एवं व्यक्तियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिगत सदस्यों का वैवाहिक उम्र का निर्धारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक रूप से वैवाहिक दायित्वों का संपादन करने के लिए व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ–साथ मानसिक विकास भी अति आवश्यक हैं

जनजातीय समाजों में बालिकाओं के मासिक धर्म प्रारंभ होने पर एवं बालकों को दाढ़ी–मूंछ निकलने व अन्य शारीरिक परिवर्तन के साथ–साथ परिवार के संचालन की क्षमता आने को विवाह योग्य लक्षण माना जाता है। शासन द्वारा बालिकाओं में 18 वर्ष एवं बालकों में 21 वर्ष को विवाह योग्य आयु निर्धारित किया गया है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में स्त्री एवं पुरूषों की विवाह उम्र का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 13
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में वैवाहिक उम्र का विवरण

क्र.	विवाह उम्र समूह (वर्ष में)	व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<15	12	0.22	132	2.86	144	1.44
2	15-18	306	5.7	1726	37.42	2032	20.36
3	19-21	1881	35.05	1835	39.78	3716	37.24
4	22-24	1107	20.63	502	10.88	1609	16.12
5	25>	702	13.08	233	5.05	935	9.37

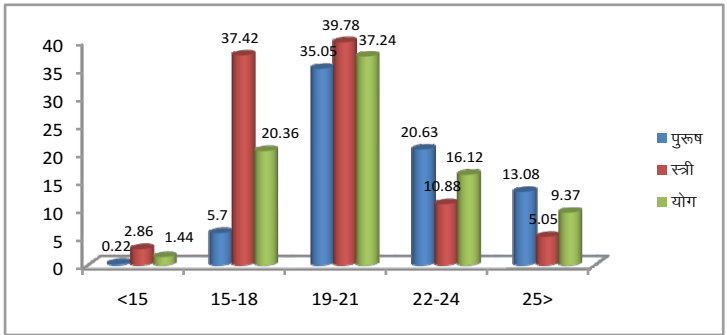

पूर्व तालिकानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया की कुल जनसंख्या में से 9979 सदस्य विवाहित अथवा विधवा/विदुर/परित्यक्ता पाये गये जिसमें 5366 पुरूष एवं 4613 महिला सदस्य है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया जनजाति में 15 वर्ष से कम उम्र में विवाहित सदस्यों की संख्या सबसे कम 1.44 प्रतिशत (सं. 144) है जिमसें पुरूष सदस्यों की संख्या 0.22 (सं. 12) है जबकि महिला सदस्यों की संख्या 2.86 प्रतिशत (सं. 132) है।

15–18 उम्र समूह में विवाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या 20.36 प्रतिशत (सं. 2032) है जिसमें पुरूषों की संख्या 5.70 प्रतिशत (सं. 306) एवं स्त्रियों की संख्या 37.42 प्रतिशत (सं. 1726) है। इस आयु समूह में विवाहित स्त्रियों की संख्या पुरूषों की तुलना में बहुत अधिक है।

19–21 उम्र समूह में विवाहित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक 37.24 प्रतिशत (सं. 3716) है जिसमें पुरूषों की संख्या 35.05 प्रतिशत (सं. 1881) तथा महिला 39.78 प्रतिशत (सं. 1835) है। 22–24 आयु समह में विवाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या 16.12 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की संख्या 20.63 प्रतिशत है जबकि स्त्रियों की संख्या 10.88 प्रतिशत है, जो कि पुरूषों की तुलना में आधी है।

25 व अधिक उम्र में विवाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9.37 प्रतिशत (सं. 935) है जिसमें पुरूषों की संख्या 13.08 प्रतिशत (सं. 702) है तथा स्त्रियों की संख्या 5.05 प्रतिशत (सं. 233) है।

निष्कर्षतः तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया जनजाति में 16–21 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक 57.60 प्रतिशत (सं. 5748) व्यक्तियों की विवाह सम्पन्न हुई। जिसमें महिलाओं की 77.2 प्रतिशत (सं. 3561) जबकि पुरूष सदस्यों की संख्या 40.75 प्रतिशत (सं. 2187) है जो कि महिलाओं की तुलना में लगभग आधि है। पुरूषों में वैवाहिक उम्र सर्वाधिक 19–24 वर्ष की उम्र में 55.68 प्रतिशत पायी गयी।

धार्मिक आस्था –

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया के अधिकांश परिवार धार्मिक रूप से अपने परंपरागत आदिवासी सभ्यता को अपनाते हुए हिन्दू धर्म का पालन करते हैं।

सामाजिक नेतृत्व –

सामाजिक जनांकिकीय अंतर्गत सामाजिक एकता, अखण्डता, मूल्यों एवं विश्वासों को अखण्ड बनाये रखने के लिए किसी भी समाज में सामाजिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया परिवारों में सामाजिक नेतृत्वधारिता का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 14

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में सामाजिक नेतृत्व का विवरण

क्र.	सामाजिक नेतृत्व धारिता का विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	धर्म निरपेक्ष मुखिया	20	0.42
2	धार्मिक मुखिया	28	0.59
3	गुनिया / सिरहा	71	1.48
4	ज्योतिषी	3	0.06
5	चौकीदार / कोटवार	3	0.06
6	अन्य	8	0.17
कुल सर्वेक्षित परिवार 4785		**133**	**2.78**

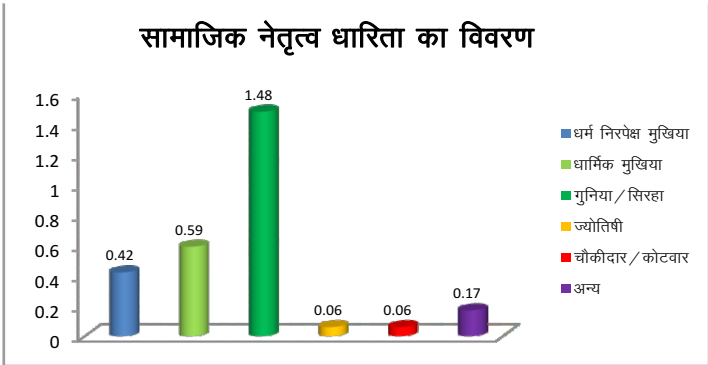

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 2.78 प्रतिशत परिवार (सं. 133) किसी न किसी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं धर्म निरपेक्ष मुखिया के रूप में 0.42 प्रतिशत परिवार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। 0.59 प्रतिशत परिवार धार्मिक मुखिया के रूप तथा 1.48 प्रतिशत परिवार गुनिया/सिरहा के रूप में कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वहीं 0.06 एवं 0.06 प्रतिशत् परिवार ज्योतिषी एवं चौकीदार/कोटवार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।

==0==

अध्याय – पांच
शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा किसी भी समाज के संपूर्ण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव समुदाय का एक विशिष्ठ हिस्सा आज भी शहरी एवं ग्रामीण सभ्यता से कोसों दूर जंगलों, पहाड़ियों एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में निवासरत है, जिसे हम आदिवासी, जनजाति के नाम से जानते हैं, यह समाज शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से आज भी पिछड़े हुए हैं।

विशेष पिछड़ी जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अन्य अनुसूचित जनजातियों की तुलना में विषम परिस्थितियों के कारण आज भी इनकी शैक्षणिक स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई है।

भारत सरकार की किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति निर्धारण की मापदण्ड में किसी समुदाय की अल्प साक्षरता दर को भी एक निर्धारक तत्व माना जाता है।

इन जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विगत कई वर्षों से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका इन समाजों में धीरे–धीरे सकारत्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

अध्ययनरत सदस्यों का विवरण –

अबुझमाड़िया जनजाति में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की प्राथमिक स्तर से हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शिक्षा का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 15
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में अध्ययनरत सदस्यों का विवरण

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययनरत सदस्य					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राथमिक	1155	56.67	783	54.6	1938	55.82
2	माध्यमिक	339	16.63	190	13.25	529	15.34
3	हाई स्कूल	160	7.85	111	7.74	271	7.81
4	हायर सेकेण्डरी	107	5.25	77	5.37	184	5.3
5	स्नातक	63	3.09	26	1.81	89	2.56
6	स्नातकोत्तर	3	0.14	1	0.07	4	0.12
7	अन्य तकनीकी	211	10.35	246	17.15	457	13.16
योग		**2038**	**58.70**	**1434**	**41.30**	**3472**	**100.00**

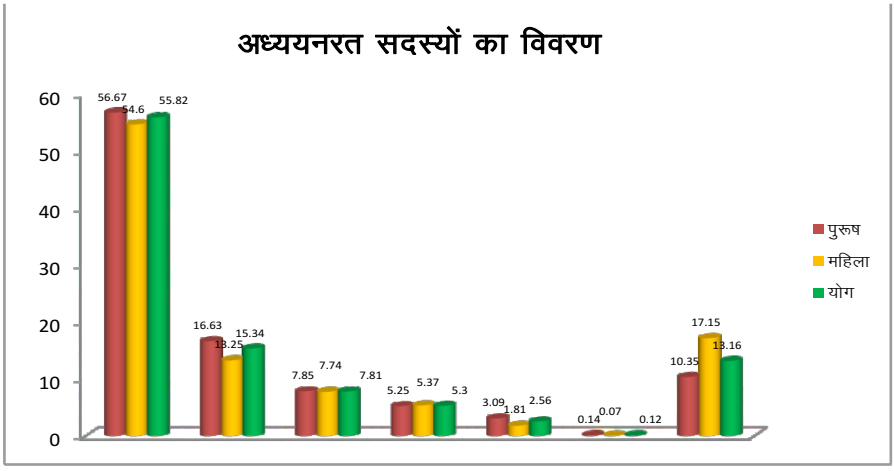

उपरोक्त तालिका में दर्शित है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 3472 बालक/बालिकाएं अध्ययनरत है जिसमें 2038 (58.70 प्रतिशत) बालक एवं 1434 (41.30 प्रतिशत) बालिकाएं किसी न किसी स्तर पर अध्ययनरत है।

अबुझमाड़िया अध्ययनरत विद्यार्थियों में 55.82 प्रतिशत (सं. 1938) बालक, बालिकाएं प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत है जिसमें 56.67 प्रतिशत (सं. 1155) बालकों की तुलना में बालिकाएं 54.60 प्रतिशत (सं. 783) है।

माध्यमिक स्तर पर 15.34 प्रतिशत (सं. 529) विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 16.63 प्रतिशत (सं. 339) बालकों की तुलना में 13.25 प्रतिशत (सं. 190) बालिकाएं हैं।

हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे अबुझमाड़िया विद्यार्थियों की संख्या 7.81 प्रतिशत (सं. 271) है जिसमें बालक 7.85 प्रतिशत (सं. 160) एवं बालिकाएं 7.74 प्रतिशत (सं. 111) है।

हायर सेकेण्डरी तक अध्ययनरत अबुझमाड़िया विद्यार्थियों की संख्या 5.30 प्रतिशत (सं. 271) है जिसमें 5.37 प्रतिशत (सं. 184) बालिका की तुलना में बालक 5.25 प्रतिशत (सं. 107) है।

स्नातक स्तर पर 2.56 प्रतिशत (सं. 89) विद्यार्थी अध्ययनरत है जिसमें बालक 3.09 प्रतिशत (सं. 63) की तुलना में बालिकाएं 1.81 प्रतिशत (सं. 26) है।

स्नातक स्तर पर मात्र 0.12 प्रतिशत (04) विद्यार्थी अध्ययनरत है जिसमें 0. 14 प्रतिशत (सं. 03) बालक की तुलना में 0.07 प्रतिशत, (सं. 01) बालिका है।

अन्य तकनीकि शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का प्रतिशत 13.16 (सं. 457) है जिसमें बालिका 17.15 प्रतिशत (सं. 246) की तुलना में 10.35 प्रतिशत (सं. 211) बालक है।

अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्यों का विवरण –

विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया सदस्यों द्वारा किसी न किसी स्तर पर अध्ययन छोड़ चुके सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 16
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में अध्ययन छोड़ चुके सदस्यों का विवरण

क्र.	अध्ययन का स्तर	अध्ययन छोड़ चुके सदस्य					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राथमिक	549	41.78	421	46.62	970	43.75
2	माध्यमिक	244	18.57	132	16.62	376	16.96
3	हाईस्कूल	117	8.90	72	7.97	189	8.53
4	हायर सेकेण्डरी	173	13.17	109	12.07	282	12.72
5	स्नातक	61	4.64	22	2.44	83	3.74
6	स्नातकोत्तर	23	1.75	7	0.78	30	1.35
7	अन्य तकनीकी	147	11.19	140	15.50	287	12.95
योग		1314	59.27	903	40.73	2217	100.00

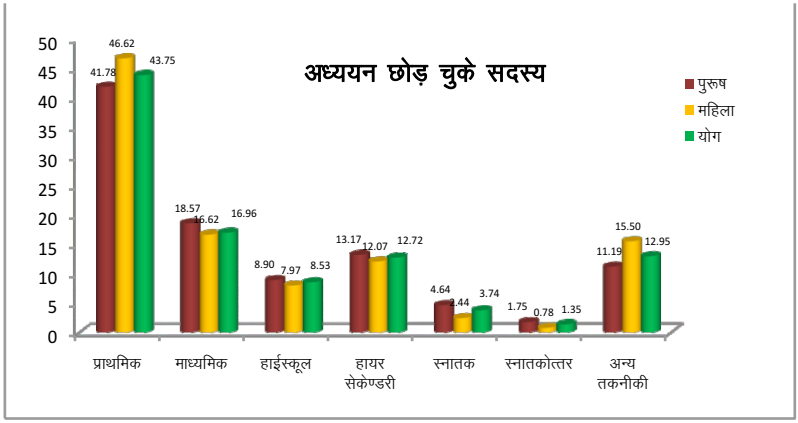

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में से 2217 सदस्यों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा के किसी न किसी स्तर पर अध्ययन छोड़ चुके हैं जिसमें पुरूषों संख्या 59.27 प्रतिशत (सं. 1314) तथा महिला 40.73 प्रतिशत (सं. 903) है।

प्राथमिक स्तर पर कुल 43.73 प्रतिशत (सं. 970) सदस्यों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ चुके जिसमें 41.78 प्रतिशत (सं. 549) पुरूष एवं 46.62 प्रतिशत (सं. 421) महिला है।

माध्यमिक स्तर पर अध्ययन छोड़ चुके सदस्यों का प्रतिशत 16.96 (सं. 376) है जिसमें 18.75 प्रतिशत (सं. 244) पुरूष एवं महिलाओं की संख्या 16.62 प्रतिशत (सं. 132) है।

हाई स्कूल स्तर पर कुल 8.53 प्रतिशत (सं. 189) सदस्यों द्वारा अध्ययन छोड़ चुके हैं जिसमें पुरूष 8.90 प्रतिशत (सं. 117) एवं महिला 7.97 प्रतिशत (सं. 72) है।

हायर सेकेण्डरी स्तर पर 12.72 प्रतिशत् (282) सदस्यों द्वारा अध्ययन समाप्त कर छोड़ चुके हैं जिसमें 13.17 प्रतिशत (सं. 173) पुरूष एवं 12.07 प्रतिशत (सं. 109) महिलाएं हैं।

स्नातक स्तर पर अध्ययन समाप्त कर चुके सदस्य 3.74 प्रतिशत (83) है जिसमें पुरूष 4.64 प्रतिशत (सं. 61) तथा महिला 2.44 प्रतिशत (सं. 22) है।

स्नातकोत्तर स्तर पर 1.35 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन छोड़ चुके हैं जिसमें पुरूष 1.75 प्रतिशत एवं 0.78 प्रतिशत महिला है।

अन्य तकनीकी स्तर पर अध्ययन छोड़ चुके सदस्यों का प्रतिशत 12.95 (सं. 287) है जिसमें 11.19 प्रतिशत (सं. 147) पुरूष एवं महिला 15.50 प्रतिशत (सं. 140) है।

कुल साक्षर व्यक्ति

विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया में कुल महिला–पुरूष साक्षर व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 17
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में साक्षर सदस्यों का वितरण

क्र.	विवरण	साक्षर सदस्य					
		पुरूष		महिला		योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अध्ययनरत	2038	35.82	1434	25.21	3472	61.03
2	अध्ययन छोड़ चुके	1314	23.10	903	15.87	2217	38.97

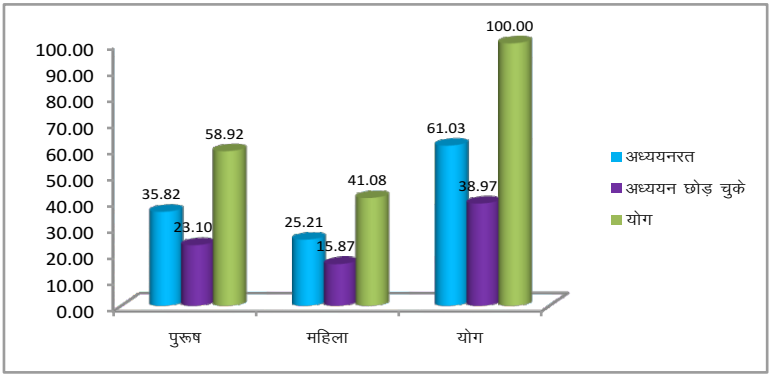

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल 5689 व्यक्ति किसी न किसी स्तर तक शिक्षित है जिसमें 3352 पुरूष तथा 2337 महिला है।

साक्षरता दर (LITRACY RATE)

राज्य की अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल साक्षरता दर का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्रमांक 18
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में साक्षर सदस्यों का वितरण

क्र.	साक्षरता दर					
	पुरूष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	3352	35.97	2337	24.04	5689	29.88
0–6 वर्ष उम्र समूह को छोड़कर कुल जनसंख्या = 19041 (पुरूष 2108) महिला 2160						

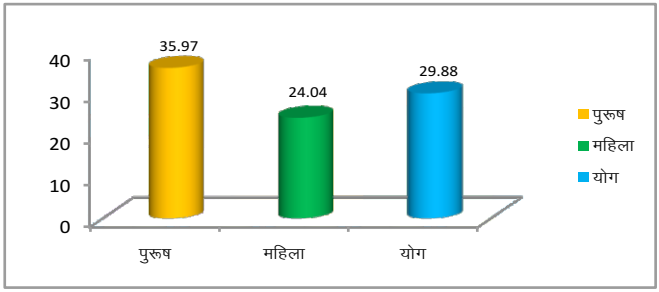

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 23309 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 11428 एवं महिलाहों की जनसंख्या 11881 है। साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या में से 0–6 वर्ष उम्र की जनसंख्या को घटाने के पश्चात जो शेष जनसंख्या बचती है उससे साक्षरता दर ज्ञात किया जाता है। उक्त 0–6 उम्र की जनसंख्या न तो साक्षर में और न ही निरक्षर में शामिल किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल साक्षरता दर 29.88 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 35.97 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 24.04 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 50.03 की तुलना में विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया की कुल साक्षरता दर बहुत कम है।

शालागामी उम्र समूह में साक्षरता

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में शालागामी उम्र समूह 07–14 वर्ष आयु में साक्षरता दर का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका क्रमांक 19
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में शालागामी उम्र समूह में साक्षरता

क्र.	शालागामी उम्र (7–14) समूह में साक्षरता					
	पुरूष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	1576	61.85	1038	45.45	2614	54.10

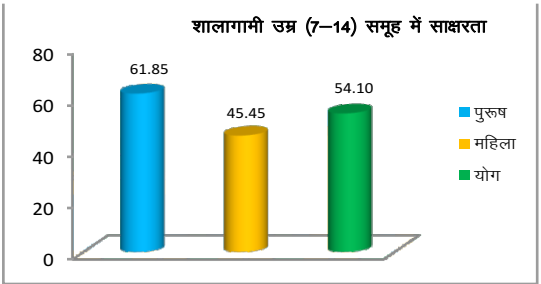

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में 7–14 उम्र समूह की कुल जनसंख्या 4832 (तालिका 09) है जिसमें पुरूषों की संख्या 1576 एवं 1038 महिलाएं हैं।

तद्नुसार उपरोक्त तालिका में अबुझमाड़िया जनजाति का 7–14 वर्ष उम्र समूह में साक्षरता का प्रतिशत 54.10 (सं. 2614) है जिसमें पुरूष साक्षरता 61.85 प्रतिशत (सं. 1576) एवं महिला साक्षरता 45.45 प्रतिशत (सं. 1038) है।

आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों की संख्या

आंगनबाड़ी गर्भवती स्त्रियों, धात्रीमाताओं, शिशु पोषण आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य, 03–06 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ उचित पोषण आहार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में आंगनबाड़ी जाने वाले बालक एवं बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 20

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आंगनबाड़ी मे अध्ययनरत बच्चों की संख्या

क्र.	आंगनबाड़ी में अध्ययनरत अबुझमाड़िया बालक/बालिका					
	पुरूष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	613	43.70	628	41.73	1241	42.43

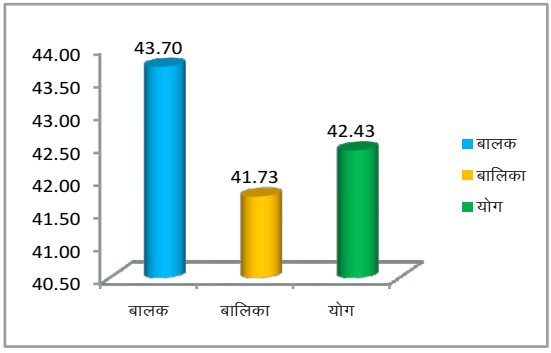

अबुझमाड़िया जनजाति में 3–6 उम्र समूह की कुल बालक–बालिकाओं की संख्या 2925 है जिसमें बालकों की संख्या 1420 एवं 1505 बालिकाएं हैं। उपरोक्त तालिका में बिरहोर जनजाति के 3–6 वर्ष उम्र समूह के आंगनबाड़ी जाने वाले कुल बालक–बालिकाओं का प्रतिशत 42.43 (सं. 1241) है जिसमें बालक 43.70 प्रतिशत (सं. 613) एवं बालिका 41.73 प्रतिशत (सं. 628) है।

==0==

अध्याय – छः
सामाजिक – आर्थिक स्थिति

किसी भी समाज चाहे वह शहरी समाज हो, ग्रामीण या आदिम समाज हो उन्हें अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ मूलभुत आवश्यकताएं जैसे – भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है। इन समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास उपलब्ध संशाधनों से अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करना पड़ता है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां सुदूर क्षेत्रों, घने एवं बीहड़ जंगलों एवं पहाड़ियों में निवास करते हैं, अतः उनकी आर्थिक क्रियाकलाप उन्हीं जंगलों में आधारित होती है। जनजातियों का आवास अपने आसपास उपलब्ध संशाधनों से निर्मित होते हैं। वहां पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा आदिवासियों का प्रकृति से अधिक निकट संबंध होने के कारण उनका अर्थव्यवस्था प्रकृति एवं वनों पर आधारित होता है।

शासन द्वारा जनजातियों के हितों से संबंधित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित है जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वहीं इंदिरा आवास योजना आदि के माध्यम से स्थायी आवास उपलब्ध कराये गये हैं। पूर्व में विशेष पिछड़ी जनजातियां झूम–डहिया या स्थानांतरित कृषि करते थे परिणाम स्वरूप उनका आवास एवं बसाहट अस्थायी प्रकृति का होता था। वर्तमान में स्थायी कृषि करने लगे हैं अतः स्थायी आवास के साथ–साथ, स्थायी रूप से गावों में निवास कर रहे हैं।

इस अध्ययन में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का आवास एवं उनके आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है।

आवास स्वामित्व

किसी भी परिवार को अपने स्थायी जीवनयापन, आर्थिक क्रियाकलापों एवं परिवार के संचालन हेतु आवास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की आवास स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 21

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास के स्वामित्व की स्थिति

क्र.	आवास स्वामित्व	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	4340	90.70
2	स्वयं का नहीं	445	9.30
योग		**4785**	**100.00**

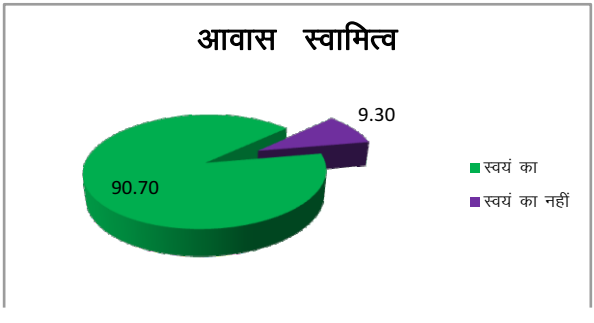

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति क सर्वाधिक 90.70 प्रतिशत (सं. 4340) परिवारों के पास स्वयं का आवास है। शेष 9.3 प्रतिशत (सं. 445) परिवारों के पास स्वयं का आवास नहीं है।

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का 4340 परिवार (90.70 प्रतिशत) के स्वयं के आवास हैं जिसमें 7.60 प्रतिशत (सं. 330) परिवारों को इंदिर आवास योजना या अन्य आवासीय योजनांतर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं। शे अधिकांश 92.40 प्रतिशत (सं. 4010) परिवारों के आवास स्वयं का है, किसी आवास योजन से प्राप्त नहीं है।

आवास योजना से लाभान्वयन

प्रशासन द्वारा आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न आवासीय योजनांतर्गत हितग्राही परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में आवासीय योजनाओं के माध्यम से प्राप्त आवास की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 22

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास योजना से लाभान्वयन की स्थिति

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का	4010	92.40
2	इंदिरा आवास	330	7.60
योग		**4340**	**100.00**

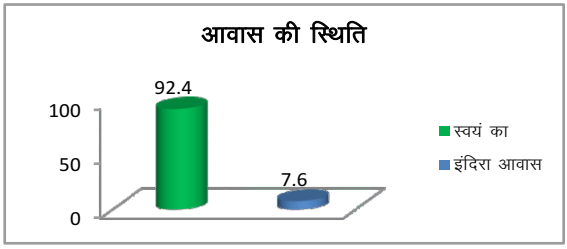

आवास आवंटन वर्ष

शासन द्वारा पंचायतों के माध्यम से आवास का आवंटन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्षों में किया गया है, अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजातियों का आवास भी भिन्न–भिन्न वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं। किसी किसी परिवार को 15–20 वर्ष पूर्व उनके पिता या पूर्वजों को स्वीकृत किये गये थे। विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया परिवारों को योजनांतग्रत आवास प्राप्ति के अवधि का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 23

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास योजना से लाभान्वयन का विवरण

क्र.	प्रदत्त आवास की अवधि	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	5 वर्ष से कम	58	17.58
2	5–10 वर्ष	197	59.70
3	10–15 वर्ष	18	5.44
4	15–20 वर्ष	12	3.64
5	20 वर्ष से अधिक	45	13.64
योग		**330**	**100.00**

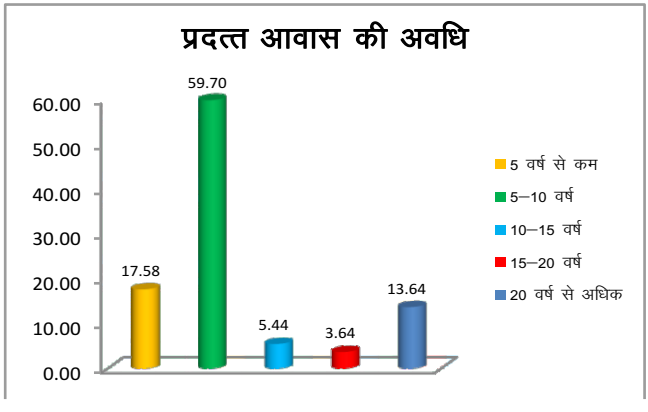

उपरोक्तानुसार योजनांतर्गत अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को प्राप्त आवास में से सर्वाधिक 59.70 प्रतिशत (सं. 197) आवास आवंटन 5–10 वर्ष पूर्व का है। शेष क्रमशः 17.58 प्रतिशत 05 वर्ष से कम, 13.64 प्रतिशत 20 वर्ष से अधिक, 5.44 प्रतिशत 10–15 वर्ष पूर्व का तथा 3.64 प्रतिशत आवास का आवंटन 15–20 वर्ष पूर्व का है।

आवास प्रकार

आवास को प्रायः कच्चा, अर्द्धपक्क और पक्का प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में आवास उनके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संशाधनों पर निर्भर करता है। उनका आवास प्रायः मिट्टी, लकड़ी, बांस, ईंट, घास–फूस आदि से निर्मित होते हैं।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का आवास प्रकार निम्नांकित है –

दिवाल का प्रकार –

अबुझमाड़िया जनजाति के आवास में दिवाल के प्रकार का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 24

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास के दिवाल का प्रकार

क्र.	दीवाल का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	मिट्टी	2622	54.80
2	मिट्टी एवं लकड़ी	969	20.25
3	मिट्टी एवं बांस	1024	21.40
4	अर्द्धपक्का	119	2.49
कुल परिवार 4785			

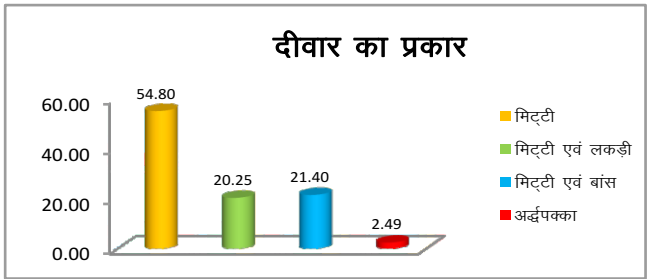

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 54.8(प्रतिशत (सं. 2622) परिवारों के आवास की दिवालें मिट्टी निर्मित 21.40 प्रतिश (सं. 1024) परिवारों के दिवाल मिट्टी एवं बांस 20.25 प्रतिशत (सं. 969) परिवारों क दिवाल मिट्टी एवं लकड़ी से निर्मित तथा मात्र 2.49 प्रतिशत (सं. 119) परिवारों के दिवाल अर्द्धपक्का प्रकार के पाये गये।

छत का प्रकार –

बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति आवास के छत का प्रकार निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 25

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास के छत का प्रकार

क्र.	छत का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	घांस–फूस	2707	56.57
2	खपरेल	1533	32.04
3	एस्बेस्टस	449	9.38
कुल परिवार 4785			

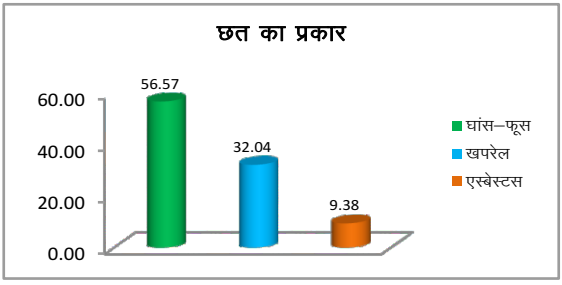

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के आवास का छत सर्वाधिक 56.57 प्रतिशत (सं. 2707) घास–फूस का है तथा शेष क्रमशः 32.04 प्रतिशत (सं. 1533) खपरैल एवं 9.38 प्रतिशत (सं. 449) एस्बेस्टस का है।

फर्श का प्रकार

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति आवास के फर्श का प्रकार का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 26
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में आवास के फर्श का प्रकार

क्र.	फर्श का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	4563	95.36
2	अर्द्धपक्का	130	2.72
कुल परिवार 4785			

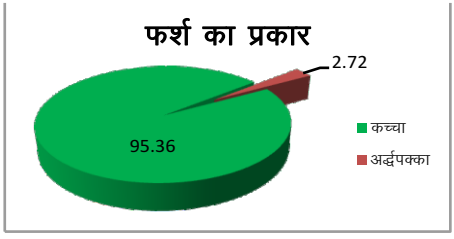

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति को आवास का फर्श सर्वाधिक 95.36 प्रतिशत (सं. 4563) कच्चा अथवा मिट्टी निर्मित पायी गयी। वहीं 2.72 प्रतिशत (सं. 130) परिवारों के आवास का फर्श अर्द्धपक्का तथा मिट्टी व सीमेंट कांक्रीट निर्मित पायी गयी है।

घर का निवास क्षेत्र

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों में अपनी सीमित दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं होने के कारण सामान्यतः इनकी आवास अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के निवास क्षेत्र का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 27
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में निवास का क्षेत्रफल

क्र.	निवास क्षेत्र (वर्ग फीट में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	400 से कम	2004	41.88
2	400 से 500	1152	24.08
3	500 से अधिक	268	5.60
कुल परिवार 4785			

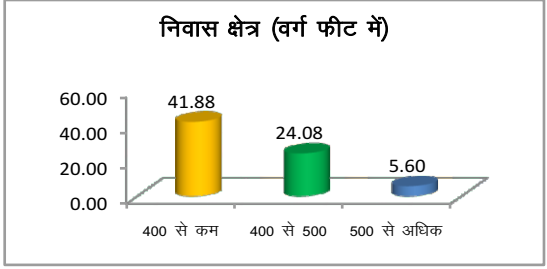

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का निवास क्षेत्रफल 41.88 प्रतिशत (सं. 2004) परिवारों का निवास क्षेत्रफल 400 वर्गफूट से कम है, वहीं 24.08 प्रतिशत (सं. 1152) परिवारों का निवास क्षेत्रफल 400 से 500 वर्गफीट तथा 5.60 प्रतिशत (सं. 268) परिवारों का आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट से अधिक पायी गयी।

आवास में कक्षों की उपलब्धता –

जनजातीय क्षेत्रों में उनके आवास में सीमित आवश्यकता अनुसार कक्ष भी सीमित होता है। सामान्यतः उनका आवास एक अथवा दो कक्षों का होता है तथा उसमें एक परछी होता है। परछी को ही अधिकांश रसोई के रूप में उपयोग करते हैं। घर के सामने एक आंगन होता है जिसका उपयोग अपने अधिकांश क्रियाकलापों के लिए करते हैं। एक कमरे के एक कोने में उनका देवस्थल डूमा–पितर का स्थान होता है। दूसरे हिस्से में ही अनाज भण्डारण हेतु कोठी आदि होता है।

अबुझमाड़िया जनजाति आवासों में कक्ष की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 28
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया आवास में कक्षों की उपलब्धता

क्र.	कक्ष संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	01 कक्ष	315	6.58
2	02–03 कक्ष	3086	64.49
3	04 कक्ष	627	13.01
कुल परिवार संख्या 4785			

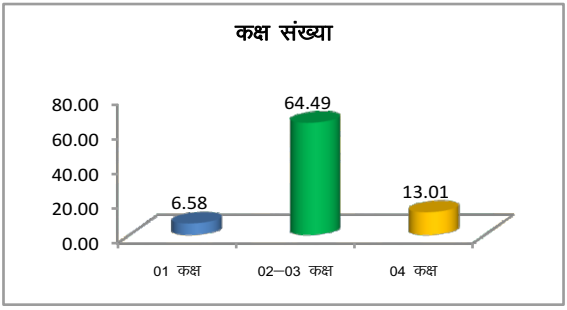

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिकांश 64.49 प्रतिशत (सं. 3086) परिवारों के आवास में कक्षों की संख्या 02–03 पायी गयी, 13.01 प्रतिशत (सं. 627) परिवारों में 04 कक्ष तथा 6.58 प्रतिशत (सं. 315) परिवारों के आवास में 01 कक्ष पाये गये। सामान्यतः जनजातीय परिवारों में आवास अपनी आर्थिक स्थिति एवं परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्मित करते हैं।

कार्यशीलता

जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की प्रमुख इकाई परिवार होता है तथा इस इकाई को परिवार के समस्त सदस्य आपस में मिलकर बनाते हैं। जनजातीय समाजों में अर्थव्यवस्था संग्रहण की न होकर जीविकोपार्जन की होती है। जनजातियों के जीवन में कार्यों के प्रकृति के आधार पर उनके कार्यों को घरेलू अथवा पारिवारिक कार्य एवं अर्थ उपार्जन के रूप में विभक्त किया जा सकता है।

किसी भी समाज में व्यक्तियों की आर्थिक कार्यों में संलग्नता के आधार पर उनकी कार्यशीलता निर्धारित की जाती है। किसी भी समाजों में सामान्यतः अकार्यशील आंशिक कार्यशील तथा कार्यशील सदस्य होते हैं तथा कार्यशील व आंशिक कार्यशील सदस्य ही परिवार की अर्थव्यवस्था का आधार होता है।

कार्यशील सदस्यों की गणना किसी भी समुदाय में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों, वृद्ध सदस्यों एवं निःशक्तजनों को छोड़ शेष जनसंख्या से की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 29
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया मे कार्यशील जनसंख्या का विवरण

क्र.	विवरण	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कार्यशील जनसंख्या	6740	58.98	7414	62.4	14154	60.74

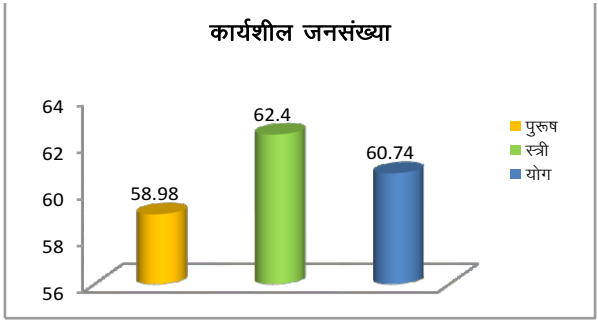

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 23309 (पुरूष – 11428, महिला 11881) में से 60.74 प्रतिशत (सं. 14154) जनसंख्या कार्यशील है जिसमें 58.98 प्रतिशत (सं. 6740) पुरूष एवं 62.40 प्रतिशत (सं. 7414) महिला है। जो कि सक्रीय रूप से आर्थिक क्रियाकलापों/अर्थोपार्जन में संलग्न है।

व्यावसायिक वर्गीकरण

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति अपनी अर्थोपार्जन के साधनों में परंपरागत कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण, मजदूरी में शासकीय एवं कृषि मजदूरी, मत्स्याखेट, छोटे–छोटे जीव–जन्तुओं का शिकार, रस्सी एवं बांस बर्तन निर्माण कार्यों में संलग्न है। उपरोक्त व्यवसाय से प्राप्त आय से अपने एवं परिवार का भरण–पोषण करते हैं।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों को प्राथमिक अथवा मुख्य व्यवसाय एवं द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय के रूप में विभक्त कर सकते हैं।

अबुझमाड़िया जनजाति में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक अथवा मुख्य

तालिका क्रमांक 29
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया आवास में प्राथमिक व्यवसाय का विवरण

क्र.	प्राथमिक व्यवसाय	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	3034	45.01	2087	28.15	5121	36.18
2	वनोपज	3	0.04	11	0.15	14	0.10
3	मजदूरी	106	1.57	82	1.11	188	1.33
4	सेवा/नौकरी	118	1.75	41	0.55	159	1.12
5	अन्य (बांस बर्तन, रस्सी निर्माण आदि)	101	1.50	165	2.23	270	1.91

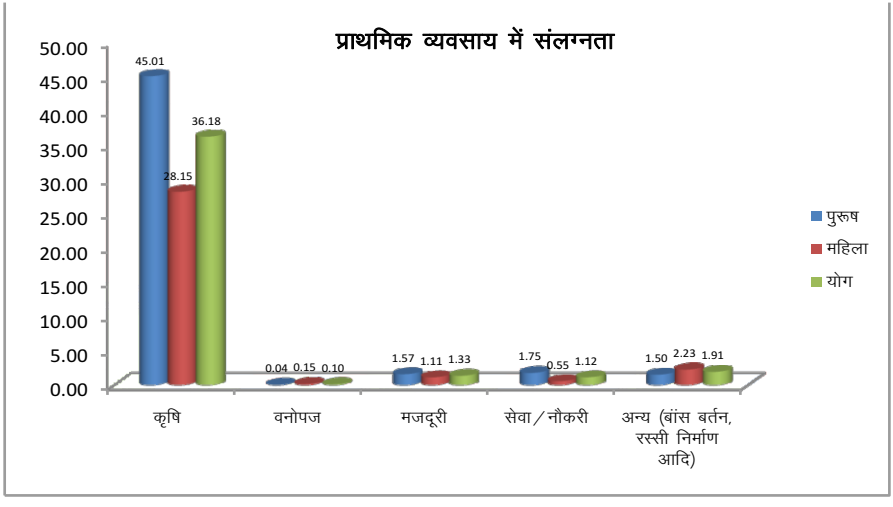

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल कार्यशी जनसंख्या में से सर्वाधिक 36.18 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य में, 1.91 प्रतिशत व्यक्ति अन कार्य में, 1.33 प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी एवं कृषि मजदूरी में, 1.12 प्रतिशत विभिन सेवा/नौकरी में तथा मात्र 0.10 प्रतिशत वनोपज संग्रहण में संलग्न पाये गये।

उसी प्रकार द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय में संलग्न अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 30
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में द्वितीय व्यवसाय का विवरण

क्र.	द्वितीयक व्यवसाय	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	162	2.40	91	1.23	253	1.79
2	वनोपज	822	12.20	996	13.43	1818	12.84
3	मजदूरी	517	7.67	145	1.96	662	4.68
4	सेवा/नौकरी	14	0.21	0.7	0.09	21	1.15
5	अन्य (बांस बर्तन/ रस्सी निर्माण	154	2.28	100	1.35	254	1.79

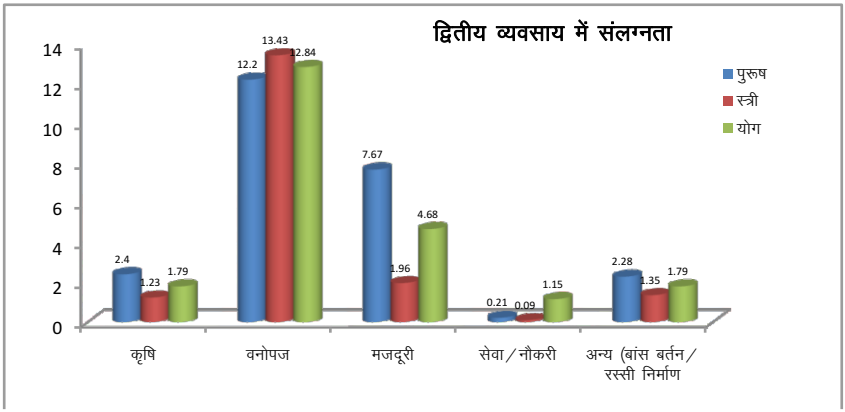

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशील सदस्यों में सर्वाधिक 12.84 प्रतिशत सदस्यों द्वारा वनोपज संग्रहण को द्वितीयक अथवा गौण व्यवसाय बताया गया। 4.68 प्रतिशत मजदूरी, 1.79 प्रतिशत क्रमशः कृषि एवं अन्य (बांस बर्तन, रस्सी निर्माण) तथा 1.15 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा द्वितीयक व्यवसाय की जानकारी दी गयी।

रोजगार देने मानव दिवसों की संख्या

जनजातियां अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संशाधनों के रूप में परंपरागत, कृषि, वनोपज संग्रहण मत्स्याखेट, छोटे–छोटे पशु–पक्षियों का शिकार

एवं अपने परंपरागत कला–कौशल के कार्यों में संलग्न पाये जाते हैं। किन्तु वर्तमान समय में अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परंपरागत आर्थिक संशाधनों के अलावा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शासकीय मजदूरी/कृषि मजदरी जैसे कार्यों में संलग्न पाये गये हैं।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशील व्यक्तियों को प्राप्त रोजगार हेतु मानव दिवसों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 31
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में परिवार के सदस्यों की रोजगार में संलग्नता का विवरण

क्र.	विवरण	रोजगार प्राप्त व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2 या 2 माह से अधिक रोजगार	144	2.14	106	1.43	250	2.73

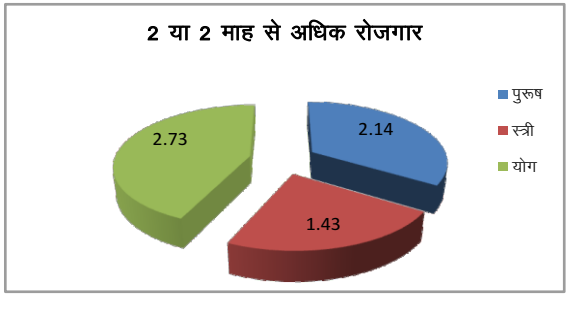

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल कार्यशील व्यक्तियों 14154 (पु. 6750, म. 7414) में से मात्र 2.73 प्रतिशत (सं. 250) व्यक्तियों को 2 या 2 माह से अधिक दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें 2.14 प्रतिशत (सं. 144) पुरूष एवं 1.43 प्रतिशत (सं. 106) महिलाएं हैं।

उपरोक्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का मानव दिवस में प्राप्त रोजगार का वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 32
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में प्राप्त रोजगार हेतु मानव दिवसों का विवरण

क्र.	मानव दिवस	संलग्न व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2–4 माह	98	1.45	79	1.07	177	1.93
2	4–6 माह	2	0.03	4	0.05	6	0.07
3	6 माह से अधिक	44	0.66	23	0.31	67	0.73

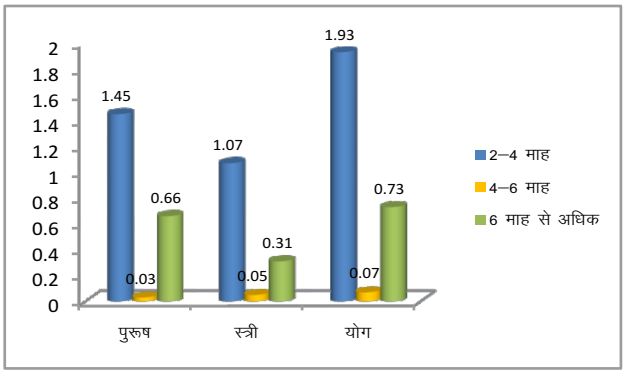

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के कार्यशील जनसंख्या 4154 (पु. 6750 म. 7414) में से सर्वाधिक 1.93 प्रतिशत (सं. 177) व्यक्तियों को 2–4 माह का रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें 1.45 प्रतिशत (सं. 98) पुरूष एवं 1.07 प्रतिशत (सं. 79) महिला है।

4–6 माह का रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति 0.07 प्रतिशत (सं. 06) मात्र जिसमें 0.03 प्रतिशत (सं. 02) पुरूष एवं 0.05 प्रतिशत (सं. 06) महिला है।

6 माह से अधिक मानव दिवसों का रोजगार प्राप्त करने वाले कार्यशील जनसंख्या में से 0.73 प्रतिशत (सं. 67) व्यक्ति है जिसमें 0.66 प्रतिशत (सं. 44) पुरूष एवं 31 प्रतिशत (सं. 23) महिलाए हैं।

भूमि धारिता LAND HOLDING

जनजातीय समाज अनेकों वर्षों से वन क्षेत्रों में निवास कर रही है अपने निवास निवास क्षेत्रों के वनों से वनोपज संग्रहण कंद–मूल, फल संकलित कर अपने परंपरागत व्यवसाय के साथ–साथ, पारंपरिक कृषि कार्य कर रहे हैं। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में भूमि धारिता का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 33
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में भूमि धारिता का विवरण

क्र.	विवरण	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमि धारक (स्वयं आधिपत्य एवं अतिक्रमित)	4548	95.05
2	भूमिहीन	237	4.95
योग		**4785**	**100.00**

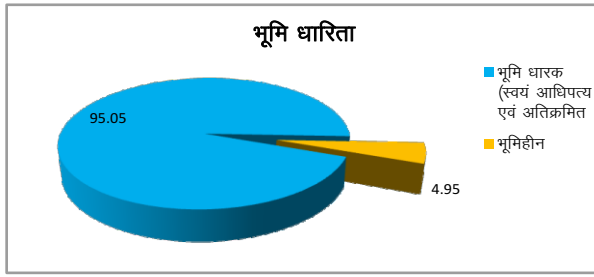

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के अधिकांश 95.05 प्रतिशत परिवार भूमिधारक है तथा शेष 4.95 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है।

भूमि का प्रकार

जनजातियों विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों में अपने परंपरागत कृषि तकनीक का उपयोग, उन्नत बीज एवं खाद का बहुत कम उपयोग पर्याप्त मानव संशाधनों का अभाव आदि कारणों से कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होता है। इसके साथ ही साथ इनके कृषि भूमि का असिंचित होना या सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होना प्रमुख कारण है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति भूमिधारक परिवारों में भूमि का प्रकार का विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 34
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में धारित भूमि का प्रकार

क्र.	भूमि का प्रकार	भूमिधारक परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	असिंचित	3905	85.86
2	सिंचित	643	14.14
योग		**4548**	**100.00**

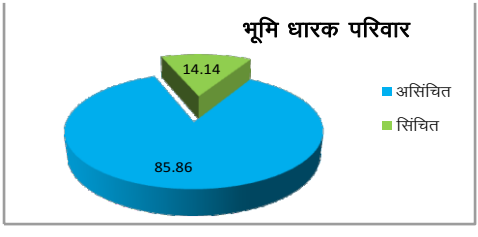

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति भूमिधारक परिवारों (सं. 4548) में से सर्वाधिक 85.86 प्रतिशत (सं. 3905) परिवारों की कृषि भूमि असिंचित प्रकार की है। केवल 14.14 प्रतिशत (सं. 643) परिवारों की कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

स्वयं के आधिपत्य की भूमि का रकबा

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति भूमिधारक परिवारों में स्वयं के आधिपत्य की भूमि का रकबा का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 35
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में धारित भूमि का रकबा

क्र.	स्वयं के आधिपत्य की भूमि का विवरण	रकबा (एकड़ में)	स्वयं के आधिपत्य वाले भूमि धारक परिवार संख्या	प्रति परिवार औसत भूमिधारिता (एकड़)
1	असिंचित	15233.34	3905	3.9
2	सिंचित	12313.72	643	19.15
योग		**27547.06**	**4548**	**6.06**

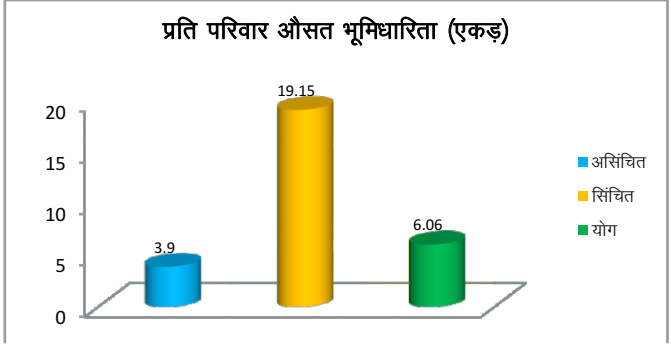

उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया में स्वयं के आधिपत्य वाले कृषि भूमिधारक परिवारों की संख्या 4548 है जिसमें 3905 परिवारों के पास असिंचित कृषि भूमि का कुल रकबा 15233.34 एकड़ है तथा प्रति परिवार औसत कृषि भूमि 3.90 एकड़ है।

स्वयं के आधिपत्य वाले शेष अबुझमाड़िया जनजाति परिवारों में कुल 12313.72 एकड़ सिंचित कृषि भूमि है, जिसका प्रति परिवार औसत 19.15 एकड़ है।

अबुझमाड़िया जनजाति के भूमिधारक (4548) परिवारों में सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार के कृषि भूमि का कुल रकबा 27547.06 एकड़ है तथा प्रति परिवार कृषि भूमि का रकबा 6.06 एकड़ है।

डहिया या पेंदा कृषि पर निर्भरता

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां पूर्व काल में पूर्णतया स्थानांतरित अथवा झूम कृषि पर निर्भर थी। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के निर्धारण हेतु झूम या डहिया कृषि को भी एक प्रमुख आधार बनाया है।

पेंदा कृषि पर प्रतिबंध एवं स्थायी कृषि को प्रोत्साहित करने वाली शासकीय प्रयासों के कारण ये विशेष पिछड़ी जनजाति स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हुई है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति पूर्व में झूम खेती करती थी, वर्तमान समय में

यदा–कदा दूरस्थ क्षेत्रों एवं सघन वनों पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक रूप से झूम अथवा डहिया कृषि कर रहे हैं, जिसका विवरण निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 36
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में डहिया या पेंदा कृषि में संलग्नता

क्र.	विवरण	परिवार					
		हां		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	डहिया कृषि में संलग्नता	1773	37.05	3012	62.95	4785	100.00

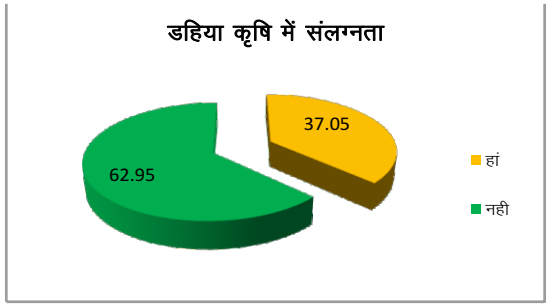

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया जनजाति परिवारों में 37.05 प्रतिशत परिवार वर्तमान में आंशिक रूप से कभी–कभी झूम या डहिया कृषि कर रहे हैं शेष 62.95 प्रतिशत झूम अथवा डहिया कृषि नहीं कर रहे हैं।

अधिया अंतर्गत भूमि विवरण

अधिया पद्धति में सामान्यतः भूमिहीन अथवा कम रकबे वाला परिवार जो कृषि कार्य में सक्षम होते हैं आपसी संवाद के माध्यम से अन्य भू–स्वामी परिवार से कृषि कार्य के लिए अधिया में कृषि भूमि प्राप्त करता है और उस पर कृषि करता है, प्राप्त कृषि उत्पाद का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा भूमि स्वामी को दिया जाता है।

अबुझमाड़िया पिछड़ी जनजाति में अधिया में भूमि प्राप्त परिवारों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 37
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया में अधिया भूमि का विवरण

क्र.	विवरण	अधिया भूमि लिए परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	3	0.06
2	नहीं	4782	99.94
योग		**4785**	**100.00**

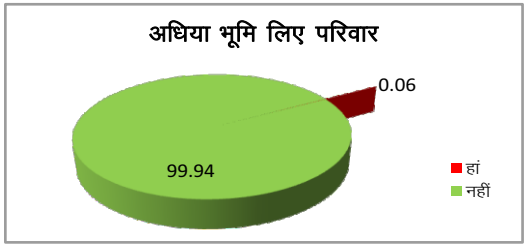

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में केवल 0.06 प्रतिशत (सं. 03) परिवार द्वारा अधिया अंतर्गत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु ली गई है।

बंधक रखे भूमि का विवरण

भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार किसी जनजाति समुदाय के व्यक्ति की भूमि का हस्तांतरण गैर जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वैधानिक रूप नहीं किया जा सकता। इसके लिए अधिनियम में भूमि संरक्षण का उपाय हेतु नियम एवं उपबंध बनाये गये हैं, फिर भी यदा–कदा ऐसी घटनाएं दिखाई दे जाती है। हालांकि अधिकांश हस्तांतरण संबंधी प्रकरण स्वजातीय देखने को मिलता है।

सामान्यतः लघु अथवा सीमांत परिवारों के कुछ परिवारों द्वारा अपने पारिवारिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में अपनी कृषि भूमि अन्य पारिवारिक व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में बंधक रखे गये भूमि–धारक परिवारों की जानकारी निम्नांकित है –

तालिका क्रमांक 38
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में बंधक भूमि का विवरण

क्र.	विवरण	भूमिधारक परिवार					
		हां		नहीं		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बंधक रखे भूमि वाले परिवार	3	0.06	4782	99.94	4785	100.00

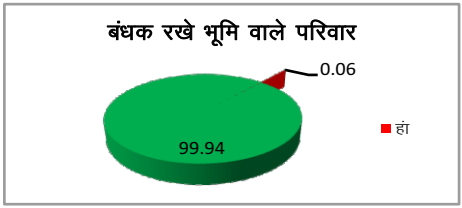

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के कुल स्वयं के आधिपत्य वाले भूमिधारक परिवारों में से मात्र 0.06 प्रतिशत (सं. 03) परिवार द्वारा ही अपनी कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखी गयी है।

पशुधन

जनजातीय समुदायों में पशुओं को संपत्ति के रूप में माना जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक क्रियाकलापों में पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों में विक्रय कर धनोपार्जन में तथा धार्मिक अनुष्ठानों, पुजई एवं अतिथि सत्कार में भोज के रूप में किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति परिवार में पालतू पशुओं का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 39
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया पशुपालन की स्थिति का विवरण

क्र.	पशुओं का नाम	पशुपालन में संलग्न परिवार		पशुओं की संख्या	प्रति परिवार औसत पशुओं की संख्या
		संख्या	प्रतिशत		
1	गाय	3339	69.78	11531	3.45
2	बैल	3269	68.32	11507	3.52
3	भैंस / भैंसा	148	1.98	2462	16.63
4	बकरा / बकरी / भेंड़	2267	47.38	9858	4.35
5	मुर्गा / मुर्गी	4147	86.67	28030	6.76
कुल परिवार संख्या 4785					

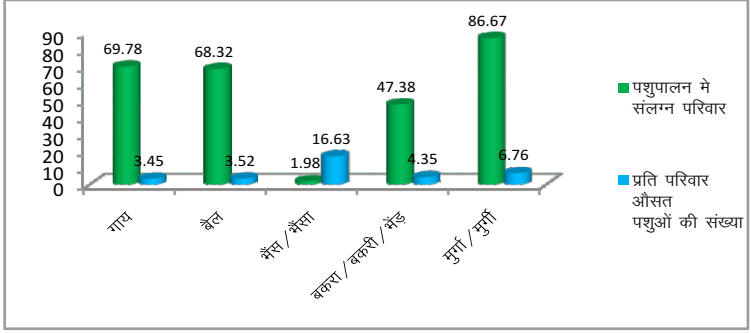

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में सर्वाधिक 86.67 प्रतिशत (सं. 4147) परिवारों द्वारा मुर्गा–मुर्गी पालन किया गया। तत्पश्चात क्रमशः 69.78 (सं. 3339) प्रतिशत परिवारों द्वारा गाय, 68.32 प्रतिशत (सं. 3269) परिवारों द्वारा बैल, 47.38 प्रतिशत (सं. 148) परिवारों द्वारा भैंस/भैंसा का पालन किया गया।

पशुपालन में संलग्न परिवारों में प्रति परिवार औसत लगभग 7 मुर्गा–मुर्गी, लगभग 4–4 गाय एवं बैल, 7 भैंस–भैंसा एवं 4 बकरा/बकरी/भेंड़ है।

वृक्षों पर स्वामित्व

जनजातीय जीवनशैली में वृक्षों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वृक्ष जनजातियों को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के साथ–साथ उनके सामाजिक–धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार होता है।

वृक्ष इनके जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, एक ओर वृक्ष से इमारती लकड़ी जिससे आवास निर्माण में आवश्यक लकड़ी प्राप्त होता है। वहीं विभिन्न फलदार पौधे महुआ आम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, चार, तेंदू आदि तथा जड़ एवं मूल से भोजन प्राप्त करते हैं, इसके अलावा वृक्षों से गोंद, लाख, कोसा प्राप्त करते हैं, इसके अलावा दोना–पत्तल बनाने के लिए वृक्षों के पत्तों, पारंपरिक व्यवसाय हेतु बांस, रस्सी आदि प्राप्त करते हैं, साथ ही विभिन्न वृक्षों से जड़ी–बूटियां प्राप्त करते हैं। कुछ वृक्ष जैसे महुआ साल, आम, ईमली, आंवला, चार, तेंदू आदि के फल/बीज इनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में स्वयं के आधिपत्य के वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 40
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों स्वयं के आधिपत्य के वृक्षों का विवरण

क्र.	वृक्षों के नाम	परिवार का आधिपत्य		कुल वृक्षों की संख्या	प्रति परिवार औसत वृक्ष
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	साल/सरई	121	2.53	2254	18.63
2	आम	2675	56.32	11094	4.15
3	महुआ	1295	27.06	8949	6.91
4	कोसम	69	1.44	554	8.03
5	ईमली	2824	59.08	10555	3.74
6	सल्फी	1682	35.15	7397	4.40
7	अन्य	4039	84.41	22387	5.54
कुल परिवार 4785					

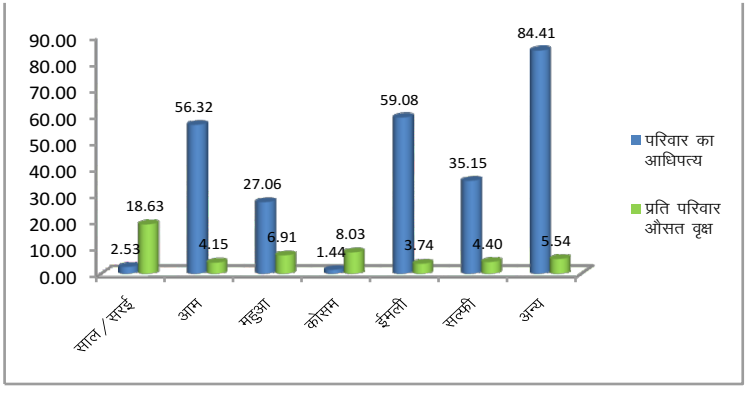

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के वृक्षों पर स्वयं के आधिपत्य वाले परिवारों में 2.53 प्रतिशत (सं. 121) परिवारों में साल/सरई वृक्षों में प्रति परिवार औसत 18.63 वृक्षों पर आधिपत्य है, 56.32 प्रतिशत (सं. 2675) परिवारों में प्रति परिवार औसत 4.15, आम वृक्षों पर आधिपत्य है। 27.06 प्रतिशत (सं. 1295) परिवारों में प्रतिपरिवार 6.91 महुआ वृक्षों पर, 1.44 प्रतिशत (सं. 69) परिवारों में प्रति परिवार औसत

8.03 कोसम वृक्षों पर आधिपत्य है। 59.08 प्रतिशत (सं. 2824) परिवारों में प्रति परिवार 3.74 इमली वृक्षों पर आधिपत्य है। सल्फी वृक्षों पर 35.15 प्रतिशत (सं. 1682) परिवारों में प्रति परिवार 4.40 वृक्षों पर आधिपत्य है। उसी प्रकार अन्य वृक्षों जैसे मुनगा, नीम, तेंदू, आंवला, हर्रा आदि वृक्षों पर 84.41 प्रतिशत (सं. 4039) परिवारों में औसत 5.54 वृक्षों पर आधिपत्य है।

आय के स्रोत्र (SOURCE OF INCOME)

जनजातियों में अर्थव्यवस्था मिश्रत प्रकार की होती है। इनकी अर्थव्यवस्था वन आधारित होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में वन एवं वनोत्पाद का प्रमुख योग दान होता है। कृषि की आदिम तकनीकी का उपयोग करने एवं अधिक शिक्षित नहीं होने से सेवा एवं व्यवसाय में कम प्रतिनिधित्व होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था में इसका कम योगदान होता है। अतः संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि आदिवासी अर्थव्यवस्था में कृषि वनोपज, मजदूरी, पशुपालन आदि का योगदान होता है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में आय के स्त्रोतों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 41
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों आय के स्रोत का विवरण

क्र.	आय के स्त्रोत	परिवार संख्या	
		संख्या	प्रतिशत
1	स्थायी/स्थानांतरित कृषि	3806	79.54
2	सेवा	352	7.36
3	शिकार/मत्स्यपालन	1157	24.18
4	उद्यानिकी	626	13.08
5	पशुपानल	3198	66.83
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं के)	3330	69.59
7	वनोपज संग्रहण	3564	74.48

8	गृह उद्योग	633	13.23
9	स्थायी संपत्ति का विक्रय	137	2.86
10	उपहार एवं विनिमय	105	2.19
11	मजदूरी से आय	1805	37.72
12	व्यवसाय / वाणिज्य	187	3.91
13	अन्य	853	17.83
कुल अबुझमाड़िया परिवार – 4785			

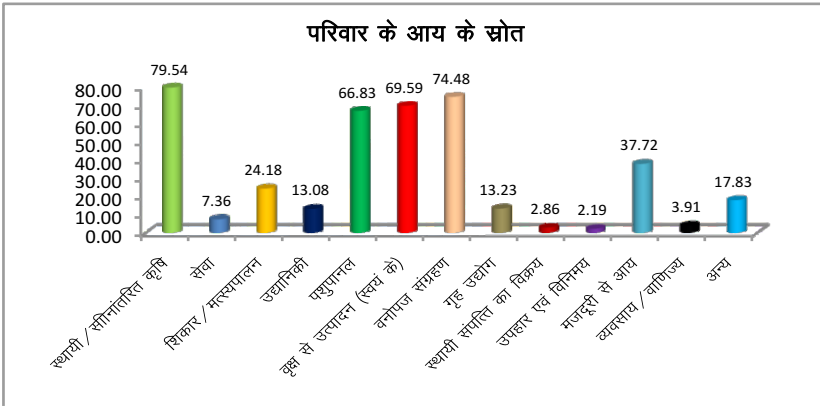

उपरोक्त अबुझामाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के सर्वाधिक 79.54 प्रतिशत् (सं. 3806) परिवारों की प्रमुख आय का स्त्रोत स्थायी / स्थानांतरित कृषि है, 74.48 प्रतिशत् (सं. 3564) परिवारों का वनोजप संग्रहण, 69.59 प्रतिशत् (सं. 3330) परिवारों का वृक्ष से उत्पादन, 66.83 प्रतिशत् (सं. 3198) परिवारों का पशुपालन, 37.72 प्रतिशत् (सं. 1805) परिवारों का मजदूरी से आय, 24.18 प्रतिशत् (सं. 1157) परिवारों का शिकार / मत्स्यपालन, 17.83 प्रतिशत् (सं. 853) परिवारों का अन्य स्त्रोतों से, 13.23 एवं 13.08 प्रतिशत् क्रमशः गृह उद्योग एवं उद्यानिकी, 7.36 प्रतिशत् (सं. 352) परिवारों का सेवा, 3.91 प्रतिशत् (सं. 187) परिवारों का व्यवसाय / वाणिज्य, 2.86 प्रतिशत् (सं. 352) स्थायी संपत्ति विक्रय तथा 2.19 प्रतिशत् (सं. 105) परिवारों का उपहार एवं विनिमय से आय प्राप्त हुई है।

प्रति परिवार औसत वार्षिक आय–

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को उनके प्राप्त आय के स्त्रोतों का विवरण एवं प्रति परिवार औसत वार्षिक आय का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक 42
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में प्रति परिवार औसत वार्षिक आय

क्र.	आय के स्त्रोत	संलग्न परिवार संख्या	वार्षिक कुल आय	प्रति परिवार औसत वार्षिक आय
1	स्थायी / स्थानांतरित कृषि	3806	36693864	9641.06
2	सेवा	352	29519986	83863.60
3	शिकार / मत्स्यपालन	1157	1559900	1348.23
4	उद्यानिकी	626	1105400	1765.81
5	पशुपालन	3198	12786400	3998.25
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं से)	3330	12030231	3612.68
7	वनोपज संग्रहण	3564	15175460	4257.98
8	गृह उद्योग	633	11966450	1890.13
9	स्थायी संपत्ति का विक्रय	137	37700	2464.96
10	उपहार एवं विनिमय	105	204780	1950.28
11	मजदूरी से आय	1805	9560541	5296.69
12	व्यवसाय / वाणिज्य	187	423100	2262.57
13	अन्य	853	8103360	9499.84
कुल		4785	128697172	26895.96

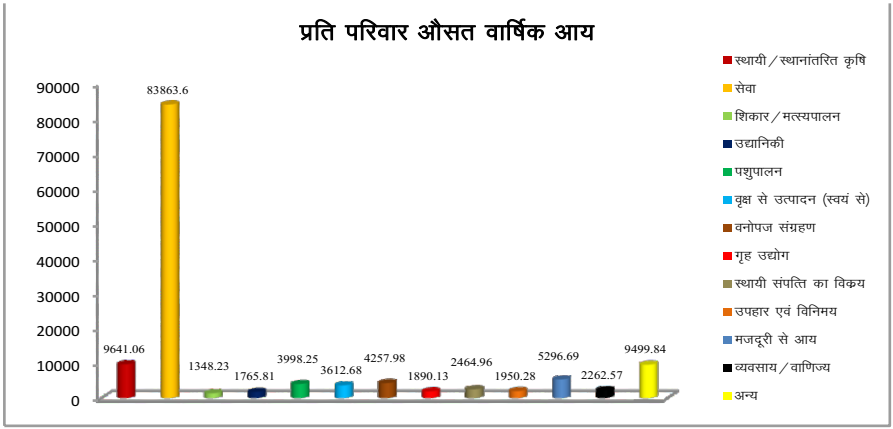

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 4785 परिवारों को विभिन्न मदों से कुल 12,86,97,172 रूपये वार्षिक आय प्राप्त हुई, जिससे प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 26895.96 रूपये है।

वार्षिक आय में मदों की सहभागिता–

सामान्यतः जनजातीय समाजों में भिन्न–भिन्न समयावधि में विभिन्न स्त्रोतों से आय की प्राप्ति होती है, वर्षा काल में कृषि कार्य से कृषि उपज की प्राप्ति होती है, ठंड के मौसम में अधिकांश वनोपज संग्रहण का कार्य, समय–समय पर मजदूरी आदि के अवसर मिलने पर मजदूरी करते है तथा वर्ष में परंपरागत कला–कौशल हेतु आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता होने से अपने परंपरागत व्यवसाय का कार्य करते है।

अबुझमाड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अतः अबुझमाड़िया जनजाति की समस्त वार्षिक आय में से विभिन्न मदों की सहभागिता का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक 43
विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों वार्षिक आय के मदों की सहभागिता का विवरण

क्र.	आय के स्त्रोत	कुल वार्षिक आय	कुल वार्षिक आय में मदों की सहभागिता (प्रतिशत)
1	स्थायी/स्थानांतरित कृषि	36693864	28.51
2	सेवा	29519986	22.94
3	शिकार/मत्स्यपालन	1559900	1.21
4	उद्यानिकी	1105400	0.86
5	पशुपालन	12786400	9.94
6	वृक्ष से उत्पादन (स्वयं से)	12030231	9.35
7	वनोपज संग्रहण	15175460	11.79
8	गृह उद्योग	11966450	0.93
9	स्थायी संपत्ति का विक्रय	37700	0.25
10	उपहार एवं विनिमय	204780	0.16
11	मजदूरी से आय	9560541	7.43
12	व्यवसाय/वाणिज्य	423100	0.33
13	अन्य	8103360	6.30
कुल		**128697172**	

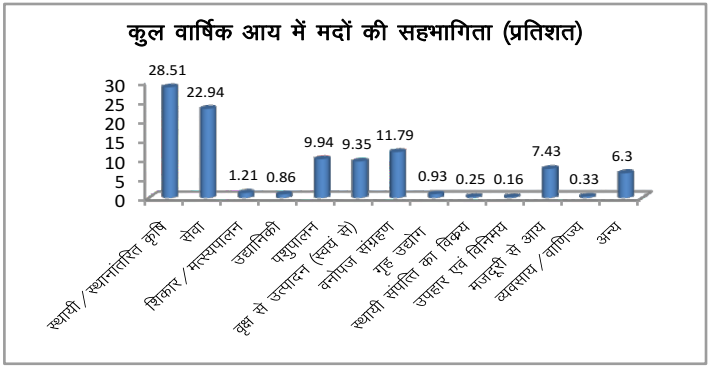

उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया के आय में 28.51 प्रतिशत् सहभागिता स्थायी/स्थानांतरित कृषि से पायी गयी, 22.94 प्रतिशत् सेवा का तथा 11.79 प्रतिशत् आय में सहभागिता वनोपज संग्रहण की रही। शिकार/मत्स्यपालन, उद्यानिकी पशुपालन और वृक्ष से उत्पादन में सहभागिता 31.36 प्रतिशत् है। घरेलू उद्योग, स्थायी संपत्ति का विक्रय, उपहार एवं विनिमय, मजदूरी, व्यवसाय वाणिज्य तथा अन्य स्त्रोतों से आय कुल वार्षिक आय का 15.40 प्रतिशत है।

व्यय मद (EXPENDITURE)

कोई भी समुदाय अपनें परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण एवं जीवन निर्वाह के लिए मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों में व्यय करता है। जनजातीय समाजों में कुल पारिवारिक वार्षिक व्यय का अधिकांश भाग भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय करता हैं अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में मदवार व्यय एवं उनमें संलग्न परिवारों का विवरण निम्नांकित है–

तालिका क्रमांक 44

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में व्यय के मदों का विवरण

क्र.	व्यय मद	संलग्न परिवारों	
		संख्या	प्रतिशत्
1	कृषि/भोजन/शाकभाजी फल–फूल बाड़ी	4786	100.00
2	पारंपरिक व्यवसाय	551	11.52
3	पोषाक और गहने	4511	94.73

4	पूजा एवं पर्व	4296	89.78
5	मादक पेय पदार्थ	4414	92.25
6	अतिथि सत्कार	4189	87.54
7	रोगोपचार	3273	68.40
8	शिक्षा	670	14.00
9	टिकाऊ संपत्ति का क्रय/लगान	2806	58.64
10	गृह निर्माण व मरम्मत	2821	58.96
11	ऋण मल अदायगी	149	3.11
12	न्यायलयीन व्यय	212	4.43
13	उपहार	1661	34.71
14	अन्य	1050	21.94
कुल परिवार		**4785**	

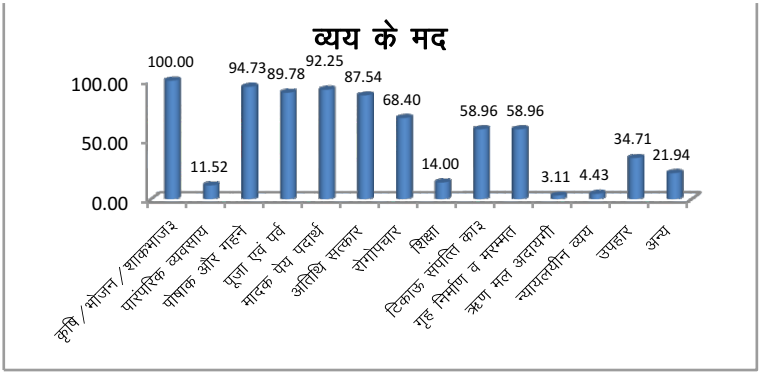

उपरोक्तानुसार शत्–प्रतिशत् अबुझमाड़िया जनजाति परिवार द्वारा भोजन शाक भाजी/कृषि में कुछ न कुछ व्यय किया गया। पारंपरिक व्यवसाय में 11.52 प्रतिशत परिवारों ने तथा पोषाक एवं गहने में 94.73 प्रतिशत् परिवारों ने व्यय किया है।

जनजातियों में धार्मिक, पूजा–पाठ तीज त्योहारों का विशेष महत्व होता है जिसके लिए 89.78 प्रतिशत् परिवारों द्वारा व्यय किया गया। आदिवासी जीवन में मादक पेय पदार्थ को उपयोगिता देवी–देवताओं के पूजा एवं मनोरंजन की दृष्टि बहुत अधिक है इस मद में 92.25 प्रतिशत् परिवारों तथा अतिथि सत्कार में 87.54 प्रतिशत् परिवारों द्वारा व्यय किया गया। उपरोक्त मदें भोजन एवं पेय पदार्थों से संबंधित है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा किसी भी समुदाय के विकास हेतु मूल–भूत आवश्यकता है। अबुझमाड़िया परिवारों द्वारा स्वास्थ्यगत् मदों में 68.40 प्रतिशत परिवारों द्वारा तथा शिक्षा के मद में 14.00 प्रतिशत् परिवारों द्वारा व्यय किया गया। हालांकि जनजातीय शिक्षा हेतु शासन द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

टिकाऊ संपत्ति का क्रय मद में 58.96 प्रतिशत् परिवार, ऋण अदायगी में 3.11 प्रतिशत् न्यायलयीन व्यय मद में 4.43 प्रतिशत्, उपहार मद में 34.71 प्रतिशत् तथा अन्य आवश्यक मद में 21.94 प्रतिशत् परिवारों द्वारा व्यय किया गया।

कुल वार्षिक व्यय (TOTAL ANNUL EXPENDITURE)

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में मदवार हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक 45

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में कुल वार्षिक व्यय का विवरण

क्र.	व्यय मद	संलग्न परिवार	वार्षिक व्यय	प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय
1	कृषि/भोजन/शाकभाजी	4785	48654939	10168.22
2	परंपरिक व्यवसाय	551	1310450	2373.31
3	पोषाक/गहने	4511	2813200	2840.43
4	पूजा एवं पर्व	4296	5535710	1288.57
5	मादक पेय पदार्थ	4144	69 07760	1564.97
6	अतिथि सत्कार	4189	6347080	1515.18
7	रोगोपचार	3273	6211750	1847.88
8	शिक्षा	670	2359020	3520.13
9	टिकाऊ संपत्ति का क्रय/लगान	2806	6969995	2483.96
10	गृह निर्माण मरम्मत	2821	6666500	2363.17
11	ऋण की अदायगी	149	770501	5171.15
12	न्यायालयीन व्यय	212	233300	1100.47
13	उपहार	1661	1843780	1110.04
14	अन्य	1050	2585862	2462.73
कुल परिवार 4785			**109209847**	**22823.37**

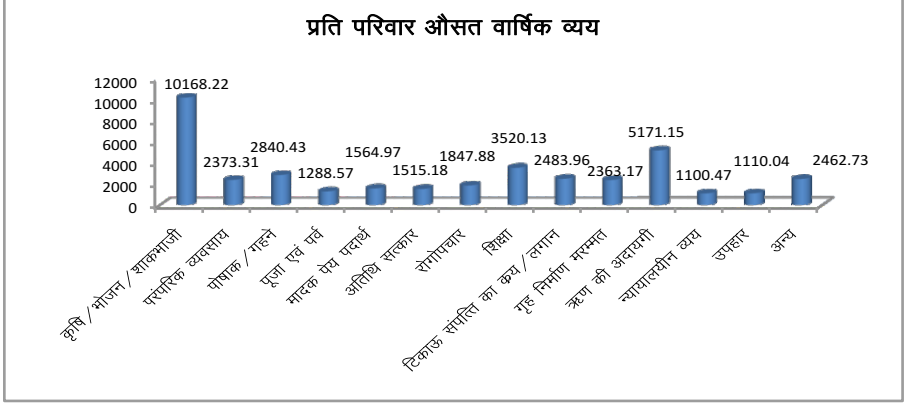

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कृषि/भोजन/शाक भाजी मद में शत्–प्रतिशत् परिवारों द्वारा 10168 रूपये प्रति परिवार औसत व्यय किया गया। गहने एवं पोषाक में 4511 परिवारों द्वारा प्रति परिवार 2840.43 रूपये व्यय किया गया।

पारंपरिक व्यवसाय में 551 परिवारों द्वारा औसत 2378.31 रूपये प्रति परिवार व्यय किया गया। पूजा एवं पर्व मद में 4296 परिवारों द्वारा 1288.57, मादक पेय पदार्थ में 4414 परिवारों द्वारा रूपये 1564.97 तथा अतिथि सत्कार मद में 4189 परिवारों द्वारा 1564.97 रूपये प्रति परिवार व्यय किया गया।

रोगोपचार में 3273 परिवारों द्वारा वर्ष भर में औसतन 1897.88 रूपये प्रति परिवार व्यय किया गया। शिक्षा मद में 670 परिवारों द्वारा प्रति परिवार 3520.93 रूपये व्यय किया।

टिकाऊ सम्पत्ति का क्रय मद में 2483.96 रूपये प्रति परिवार 2806 परिवारों द्वारा, गृह निर्माण एवं मरम्मत में 2821 परिवारों द्वारा औसतन प्रति परिवार 2363.17 रूपये व्यय किया गया।

ऋण की अदायगी मद में 149 परिवारों द्वारा प्रति परिवार 5171.15 रूपये की ऋण अदा की गयी। संयुक्त रूप से अबुझमाड़िया 4785 परिवार द्वारा समस्त मदों में वर्षभर में औसतन 22823.37 रूपये का व्यय किया गया।

कुल वार्षिक व्यय में मदों की सहभागिता–

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल वार्षिक व्यय में मदों की सहभागिता निम्नांकित है–

तालिका क्रमांक 46

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में कुल वार्षिक व्यय के मदों की सहभागिता का विवरण

क्र.	व्यय मद	कुल वार्षिक व्यय (रूपये में)	कुल वार्षिक व्यय में मदों संख्या (प्रतिशत)
1	कृषि / भोजन / शाकभाजी	48654939	44.55
2	परंपरिक व्यवसाय	1310450	1.20
3	पोषाक / गहने	2813200	11.73
4	पूजा एवं पर्व	5535710	5.07
5	मादक पेय पदार्थ	6907760	6.33
6	अतिथि सत्कार	6347080	5.81
7	रोगोपचार	6211750	5.69
8	शिक्षा	2359020	2.16
9	टिकाऊ संपत्ति का क्रय / लगान	6969995	6.38
10	गृह निर्माण मरम्मत	6666500	6.10
11	ऋण की अदायगी	770501	0.71
12	न्यायालयीन व्यय	233300	0.21
13	उपहार	1843780	1.69
14	अन्य	2585862	2.37
योग		109209847	100.00

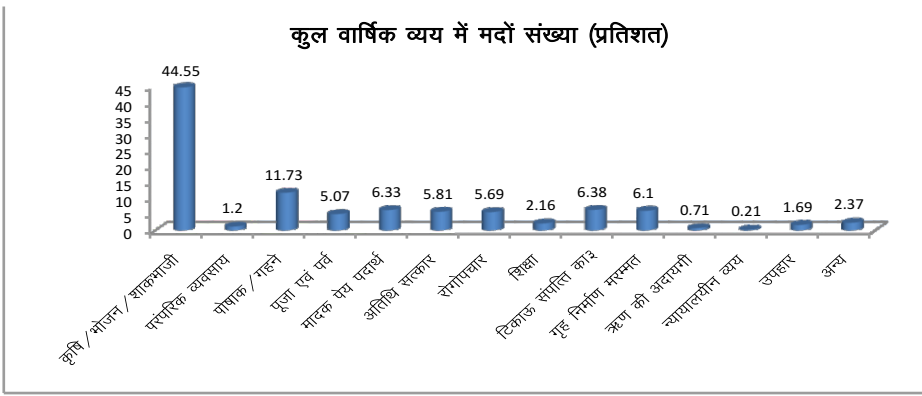

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल वार्षिक व्यय क समग्र रूप से 44.55 प्रतिशत् भाग कृषि, भोजन एवं शाक भाजी में व्यय किया गया। 11.73 प्रतिशत् पोषाक एवं गहने में, 6.38 प्रतिशत् व्यय टिकाऊ सम्पत्ति का क्रय मादक पेय में 6. 33 प्रतिशत्, गृह निर्माण एवं मरम्मत में 6.10 प्रतिशत् अतिथि सत्कार, रोगोपचार एवं पूज पाठ में क्रमशः 5.81, 5.69 तथा 5.07 प्रतिशत् व्यय किया गया। शिक्षा में 2.16 प्रतिशत् व्यय किया गया।

वनोपज एवं कृषि उपजों का विनिमय–

जनजातीय समाजों में वन एवं वनोपज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एक ओर जहां जनजातियों के सामाजिक धार्मिक क्रिया कलापों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं वही दूसरी ओर उनके अर्थव्यवस्था हेतु वनोपज कंद मूल फल–फूल के साथ–साथ कृषि हेतु भूमि उपलब्ध कराते है।

जनजाति समाज अपने आस–पास वनों में उपलब्ध वनोत्पादों यथा– महुआ आंवला, सरई–बीज, हर्रा, बहेड़ा, कोसम, बीज, लाख, गोंद कोसा आदि का संकलन कर तथा अपने आदिम कृषि पद्धति से प्राप्त कृषि उत्पादन को आवश्यकतानुसार स्थानीय साप्ताहिक बाजार, किराना दुकान, कोंचिया या सहकारी वनोपज समिति में विक्रय करत है। जिनसे वे अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ साप्ताहिक बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुए क्रय करते है।

वनोपज एवं कृषि उपजों के विक्रय का प्रकार–

अबुझमाड़िया जनजाति में वनोपज एवं कृषि उपजों के विक्रय का प्रकार क विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 47

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में कृषि उपज के विक्रय के प्रकार का विवरण

क्र.	विक्रय का प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	नगद	2302	48.11
2	विनिमय	49	1.02
3	दोनों	2434	50.87
योग		**4785**	**100.00**

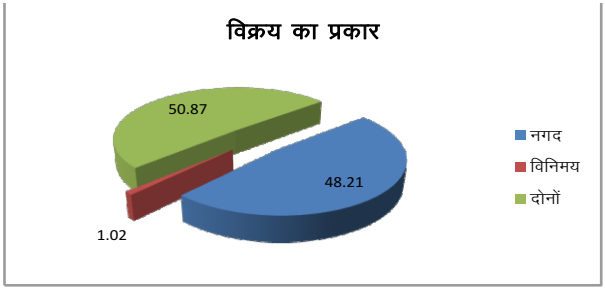

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कृषि एवं वनोत्पादों का विक्रय सामान्यतः हाट–बाजार, दुकानों एवं बिचौलियों को तथा विशिष्ठ वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, साल/सरई बीज का विक्रय सहकारी वनोपज समिति में किया जाता है। अबुझमाड़िया नगद रूप में 48.11 प्रतिशत् (सं. 2302) परिवारों द्वारा अपने उत्पादों का विक्रय किया गया। 50.87 प्रतिशत (सं. 2434) परिवारों द्वारा नगद एवं वस्तु–विनिमय दोनों ही रूपों में एवं केवल 1.02 प्रतिशत् (सं. 49) परिवारों द्वारा विनिमय के रूप में विक्रय किया गया है।

ऋणग्रस्तता–

जनजाति परिवारों में विषम परिस्थितियों जैसे– शादी–विवाह, किसी की मृत्यु संस्कार, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, कृषि आवश्यकताओं, आदि कार्यों हेतु तात्कालिक रूप से कर्ज की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ती सामान्यतः स्थानीय स्तर पर पूर्ती कर ली जाती

है। चूंकि जनजातियों में अधिकांश कार्य उपलब्ध संशाधनों से स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण कर लेते हैं।

अबुझमाड़िया जनजाति में ऋणग्रस्तता की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 48

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में ऋणग्रस्तता का विवरण

क्र.	ऋण ग्रस्तता	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	हॉ	02	0.04
2	नहीं	4783	99.96
योग		**4785**	**100.00**

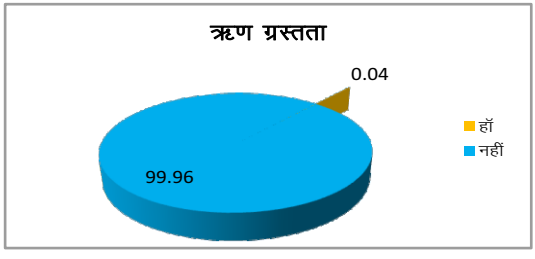

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में विभिन्न आवश्यकताओं हेतु मात्र 0.04 प्रतिशत (सं. 2) परिवार द्वारा ऋण लिया गया।

पालयन की स्थिति–

जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में रोजगार हेतु पलायन प्रायः कम पाया जाता है, विशेष कर विशेष पिछड़ी जनजातियों में। इनका निवास क्षेत्र अधिकांशतः दूर–दराज के वन क्षेत्रों में होता है। इनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध होने एवं वहां उपलब्ध संशाधनों से अपनी सिमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने के

साथ–साथ प्रकृति एवं अपने आस–पास के वातावरण से सामजस्य स्थापित करने में अधिक सक्षम होते है।

अबुझमाड़िया जनजाति में पलायन की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 49

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में पलायन की स्थिति

क्र.	पलायन की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	हॉ	13	0.27
2	नहीं	4772	99.73
योग		**4785**	**100.00**

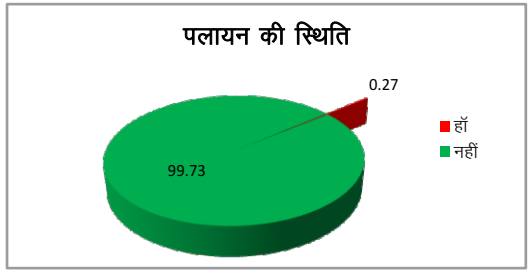

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में रोजगार हेतु अन्यत्र पलायन करने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम 0.27 प्रतिशत (सं. 13) पायी गयी है।

==0==

अध्याय – सात
स्वास्थ्य स्थिति

विशेष पिछड़ी जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति का अध्ययन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इन समुदायों का स्वास्थ्यगत पहलुओं का पृथक से अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। किन्तु वर्तमान आधारभूत सर्वेक्षण में विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य के संबधं में सामान्य जानकारियां प्राप्त की गयी हैं।

जनजातियों विशेष कर विशेष पिछड़ी जनजातियों का स्वास्थ्य उनके भौगोलिक निवास क्षेत्रों, अधोसंरचनात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं, उनमें प्रचलित मान्यताओं, विश्वासों, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति, परंपरागत रोगोपचार पद्धति आदि कारकों द्वारा निर्धारित होती है। उपरोक्त कारकों के अध्ययन के बिना जनजातीय स्वास्थ्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

जनजातीय स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा में सामान्यतः दैवीय शक्तियों का प्रकोप, जादू–टोना, नजर लगना, पूर्वज देवी–देवताओं का नाराज होना, प्राकृतिक शक्तियां आदि को अस्वस्थ्यता का कारक माना जाता है, जिसके आधार पर जनजातीय समाज अपने परंपरागत लोक चिकित्सकों यथा बैगा, गुनिया, सिरहा, झाखर आदि द्वारा तंत्र, मंत्र, नाड़ी, झाड़–फूंक आदि के माध्यम से रोगोपचार किया जाता है।

उपरोक्त उपचार पद्धति के अतिरिक्त जनजातीय समुदायों में वनौषधीय चिकित्सा पद्धति विद्यमान है जो अत्यधिक प्रभावी चिकित्सा पद्धति है तथा जिसका समर्थन वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भी किया जाता है।

जनजातियों में किसी रोगों के उपचार के लिए जनजातीय समुदायों द्वारा अपने परंपरागत स्थानीय लोक चिकित्सकों पर अत्यधिक विश्वास पाया जाता है। लोक चिकित्सकों को परंपरागत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है तथा अपने स्थानीय वनौषधीय संशाधनों का पूर्ण ज्ञान होता है। अपने पारंपरिक ज्ञान से रोगों का लक्षणों के आधार पर उपचार करते हैं। जनजातियों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु शासन द्वारा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, उचित माध्यमों से प्रचार–प्रसार तथा उनके सामाजिक,

सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रति विश्वास एवं स्वीकार्यता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

अबूझमाड़िया जनजाति में उपचार प्राथमिकता –

अबूझमाड़िया जनजाति में रोग या अस्वस्थ्यता की स्थिति में उपचार प्राथमिकता क्रम का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक 50

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में उपचार की प्राथमिकता का विवरण

क्र.	विवरण	प्रथम प्राथमिकता क्रम	परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	घरेलू उपचार	प्रथम	2220	46.39
2	भगत बैगा, गुनिया	द्वितीय	4214	88.07
3	वनौषधीय उपचारक वैद्य	तृतीय	1886	39.41
4	योग्यताधारी चिकित्सक	चतुर्थ	2395	50.05
कुल परिवार – 4785				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है जनजातीय समाज स्वास्थ्यगत कारणों से अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। अस्वस्थ्यता की स्थिति में 46.39 प्रतिशत परिवार घरेलू उपचार पद्धति का उपयोग करते हैं। 88.07 प्रतिशत सर्वाधिक परिवार उपचार हेतु पारंपरिक लोक चिकित्सकों भगत बैगा, गुनिया से उपचार को प्राथमिकता देते हैं। 39.41 प्रतिशत परिवार वनौषधीय उपचारक वैद्य की सहायता प्राप्त करते हैं तथा 50.05 प्रतिशत परिवार आधुनिक या योग्यताधारी चिकित्सक की सेवा प्राप्त करने की जानकारी दी गयी है।

विभिन्न रोग/अस्वस्थ्यता से पीड़ित सदस्य –

अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वेक्षण के दौरान गत् 01 वर्ष में मलेरिया, सर्दी, खांसी एवं सामान्य बीमारियों से ग्रसित पाये गये। शासन द्वारा इनके स्वास्थ्य/उपचार हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अध्याय – आठ
योजनाओं से लाभान्वयन

भारत सरकार द्वारा विशिष्ठ मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों में से कुछ जनजातीय समुदायों को चिन्हित कर उनके समग्र विकास हेतु पृथक से योजना निर्माण का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार के उक्त मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों एवं प्रकोष्ठों का गठन कर विभिन्न विकासीय योजनाएं संचालित की जा रही है।

वर्तमान परिदृश्य में योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन से पूर्व की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण नारायणपुर में स्थापित किया गया है। किन्तु भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा का स्तर आदि कारणों से इनमें शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति स्वीकार्यता एवं प्रसार में अपेक्षाकृत कमी के कारण योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति धीमी है।

विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया विकास अभिकरण द्वारा भूमि आबंटन भूमि सुधार, खाद बीज, बैल जोंड़ी, सिचाई, फसल प्रदर्शन, पशुधन विकास, मत्स्यपालन लघु व्यवसाय गृह उद्योग, उद्यानिकी, बाड़ी विकास पौध–रोपण, पुर्नवास, आवास प्रदाय जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है।

अबुझमाड़िया परिवारों की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है–

1. कृषि विकास संबंधी योजना–

अबुझमाड़िया जनजाति में कृषि संबंधी योजना से लाभान्वित हुये परिवारों का विवरण निम्नांकित है–

तालिका क्रमांक 50

विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया परिवारों में कृषि संबंधी योजना से लाभान्वयन की स्थिति

क्र.	कृषि संबंधी योजना से लाभान्वयन	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	हॉ	92	0.27
2	नहीं	4693	98.08
योग		**4785**	**100.00**

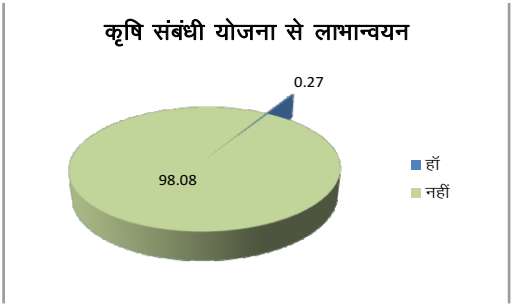

उपरोक्तानुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों में कृषि संबंधी योजनाओं से लाभान्वित 0.27 प्रतिशत (सं. 92) परिवार है।

तालिका क्रमांक 51

शासन द्वारा कृषि विकास हेतु संचालित योजनाओं से लाभान्वित अबूझमाडिया परिवारों का विवरण

क्र.	योजना का लाभ	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	भूमि आबंटन	10	10.87
2	भू–अधिग्रहण सुधार	02	2.17
3	खाद–बीज सहायता	72	78.26
4	बैल जोड़ी	07	7.61
5	सिचाई सहायता	01	1.09
योग		**92**	**100.00**

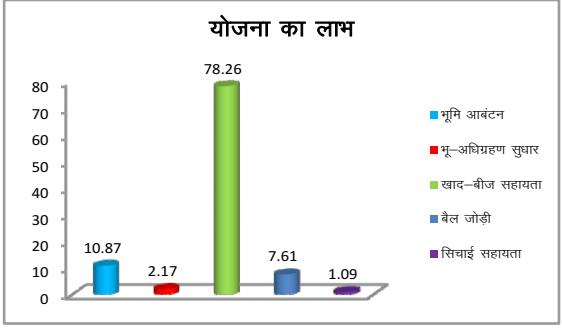

अबुझमाड़िया जनजाति के 0.27 प्रतिशत् परिवार कृषि विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए है। उनमें से सर्वाधिक 78.26 प्रतिशत परिवार खाद–बीज सहायता योजना, 10.87 प्रतिशत् परिवार भूमि आबंटन योजना, 7.61 प्रतिशत् परिवार बैल जोड़ी प्रदाय योजना, 2.17 प्रतिशत परिवार भू–अधिग्रहण सुधार योजना एवं 1.09 प्रतिशत परिवार सिंचाई सहायता योजना से लाभान्वित पाये गये।

2. आर्थिक विकास संबंधी योजना–

अबुझमाड़िया जनजाति में आर्थिक विकास संबंधी अन्य योजनाओं से लाभान्वित हुए परिवारों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 52

शासन द्वारा आर्थिक विकास हेतु संचालित योजनाओं से लाभान्वित अबूझमाड़िया परिवारों का विवरण

क्र.	विवरण	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	हॉ	02	0.04
2	नहीं	4783	99.96
योग		**4785**	**100.00**

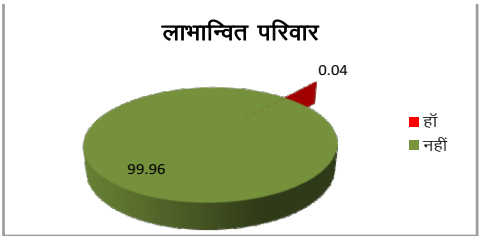

तालिका क्रमांक 53

मधुमक्खी पालन योजना से लाभान्वित अबूझमाड़िया परिवारों का विवरण

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत्
1	मधुमक्खी पालन	02	**100.00**
योग		**02**	**100.00**

आर्थिक विकास योजना अंतर्गत् 02 परिवार मधुमक्खी पालन योजना से लाभान्वित हुए है।

3. उद्यानिकी विकास से संबंधित योजना–

अबुझमाड़िया परिवारों में उद्यानिकी विकास योजना से मात्र एक परिवार लाभान्वित हुए है।

4. आवास एवं पुनर्वास योजना–

अबुझमाड़िया जनजाति में आवास एवं पुर्नवास योजनांतर्गत् 06 परिवार लाभान्वित पाये गये।

==0==

अध्याय – नौ

सारांश एवं निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति बुझमाड़िया के आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का सारांश निम्नांकित है–

1. अबुझमाड़िया जनजाति राज्य में बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के दो आदिवासी विकास खण्डों नारायणपुर और ओरछा में निवासरत् है। अबुझमाड़िया के सर्वाधिक 96.78 प्रतिशत् (4631) परिवार ओरछा विकासखंड में है।

   नारायणपुर जिले के नारायपुर विकासखंड के 13 ग्रामों एवं ओरछा विकासखंड के 197 ग्रामों में अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 4785 परिवार निवासरत् है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 89.15 प्रतिशत् परिवार केन्द्रीय या मूल परिवार ;छनबसमंत थ्ंउपसलद्ध पाये गये।
3. सर्वेक्षण 2015–16 अनुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 23309 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 11428 एवं महिला जनसंख्या 11881 है। इनमें स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1040 है। सर्वेक्षण अनुसार अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.14 प्रतिशत् है।
4. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक विवाह 15–21 वर्ष उम्र के बीच पायी गयी है जिसमें पुरूष वर्ग की 40.75 प्रतिशत एवं स्त्री वर्ग की 72.2 प्रतिशत है।
5. अबुझमाड़िया जनजाति के लोग धार्मिक रूप से आदिवासी परम्परा को निर्वाह करते हुए हिन्दू धर्म को मानते है।
6. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में साक्षरता दर 29.88 प्रतिशत पायी गयी है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 35.97 प्रतिशत की तुलना में स्त्री साक्षरता दर 24.04 प्रतिशत है।

अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल साक्षरता दर छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता दर (50.03 प्रतिशत्) की तुलना में बहुत कम है।

शालागामी उम्र समूह 7–14 वर्ष में अबुझमाड़िया जनजाति के 2614 बालक–बालिकाएं अध्ययनरत् है। इस उम्र समूह के बालको में साक्षरता दर 61.85 प्रतिशत एवं बालिका साक्षरता दर 45.45 प्रतिशत है। इस उम्र समूह में अधिक साक्षरता दर सर्वशिक्षा अभियान, अनिवार्य शिक्षा योजना एवं शिक्षा संबंधी अन्य योजना का प्रभाव दिखाई देता है।

7. अबुझमाड़िया जनजाति का आवास प्रायः कच्चे, मिट्टी एवं लकड़ी मिट्टी मिश्रित प्रकार के पाये गये जिनके छत घांस–फूस एवं खपरैल के पाये गये।
8. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में कार्यशील जनसंख्या 60.74 प्रतिशत पायी गयी जिसमें कार्यशील पुरूषों की संख्या 58.98 प्रतिशत एवं स्त्रीयों की संख्या 62.40 प्रतिशत् है।
9. अबुझमाड़िया जनजाति में 36.18 प्रतिशत लोगों ने कृषि, 1.91 प्रतिशत लोगों ने बांस बर्तन, रस्सी निर्माण या अन्य परंपरागत व्यवसाय को 1.33 प्रतिशत लोगों ने मजदूरी को तथा 1.12 प्रतिशत लोगों ने सेवा तथा नौकरी को अपना प्राथमिक व्यवसाय बताया वही मात्र 0.10 प्रतिशत लोगों ने वनोपज संकलन को अपना प्राथमिक व्यवसाय बताया।
10. अबुझमाड़िया जनजाति में रोजगार लोगों मात्र 1.93 प्रतिशत लोगों को 2–4 माह का, 0.73 प्रतिशत लोगों को 6 माह से अधिक तथा 0.07 प्रतिशत लोगों को 4–6 माह का रोजगार प्राप्त हुआ है।
11. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के 95.05 प्रतिशत् परिवार कृषि भूमि धारक है। जिसमें से 85.86 प्रतिशत परिवारों की कृषि भूमि असिंचित है। भूमि धारक परिवारों में प्रति परिवार भूमि का औसत रकबा 6.06 एकड़ है। अबुझमाड़िया जनजाति के 37.05 प्रतिशत परिवार यदा–कदा आंशिक रूप से डहिया कृषि करते हैं।

अधिया अंतर्गत् भूमि लेकर कृषि करने वाले अबुझमाड़िया परिवारों की संख्या मात्र 0.06 प्रतिशत है।

12. पशुधन के रूप में 16.63 प्रतिशत परिवारों के पास भैंस/भैंसा, 6.76 प्रतिशत परिवारों में मूर्गा/मूर्गी, 4.35 प्रतिशत् परिवारों में बकरा/बकरी/भेंड़, 3.52 प्रतिशत परिवारों में बैल तथा 3.45 प्रतिशत परिवारों द्वारा गाय पालन किया जाना पाया गया।
13. वृक्षों का अबुझमाड़िया जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वन के वृक्षों के अलावा 59.08 प्रतिशत परिवारों के आधिपत्य में प्रति परिवार औसतन 3.74 ईमली 56.32 प्रतिशत परिवारों में औसतन 4.15 आम, 35. 15 प्रतिशत परिवारों के पास औसतन 4.40 सल्फी, 27.06 प्रतिशत परिवारों में औसतन 6.91 महुआ, 2.53 प्रतिशत परिवारों में औसतन 8.03 कोसम तथा 84.41 प्रतिशत परिवारों में प्रति परिवार औसतन 5.54 अन्य वृक्षों पर आधिपत्य पाया गया।
14. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में समस्त स्त्रोतों से प्रति परिवार औसतन वार्षिक आय 26895.96 रूपये है। कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक 28.51 प्रतिशत् स्थायी/स्थानांतरित कृषि से, सेवा से 22.94 प्रतिशत्, वनोपज संग्रहण से 11.79 प्रतिशत पशुपालन से 9.94 प्रतिशत, वनोपज संग्रहण से 9.35 प्रतिशत्, मजदूरी की सहभागिता 7.43 प्रतिशत् पायी गयी।
15. अबुझमाड़िया जनजाति में व्यय के विभिन्न मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 22823.37 रूपये है। कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक व्यय भोजन मद में 44. 55 प्रतिशत्, पोषाक एवं गहने मद में 11.73 प्रतिशत्, मादक पेय पदार्थ में 6.33 प्रतिशत् टिकाऊ सम्पत्ति का क्रय एवं गृह निर्माण/मरम्मत मद में क्रमशः 6.38 एवं 6.10 प्रतिशत् शिक्षा के मद में 2.16 प्रतिशत् तथा स्वास्थ्यगत् कारणों में 5. 69 प्रतिशत् सहभागिता रही।
16. अबुझमाड़िया जनजाति परिवारों द्वारा कृषि एवं वनोत्पादों का विक्रय 48.11 प्रतिशत् परिवारों द्वारा नगद एवं 51.89 प्रतिशत् परिवारों द्वारा नगद एवं विनिमय द्वारा विक्रय किया गया।
17. अबुझमाड़िया जनजाति में पलायन की स्थिति नगण्य पाया गया।

18. अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ्य पाये गये। इनमें बहुत कम संख्या में मलेरिया, सर्दी खांसी, टी.बी., कैंसर एवं अन्य बिमारियों से ग्रसित पाये गये।

19. अबुझमाड़िया जनजाति के 1.92 प्रतिशत् परिवार कृषि विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए है, जिनमें सर्वाधिक 78.26 प्रतिशत परिवार खाद्य बीज 7.61 प्रतिशत बैल जोड़ी प्रदाय योजना, 2.17 प्रतिशत् भू–अधिग्रहण सुधार योजना तथा 1.09 प्रतिशत परिवार सिंचाई सहायता योजना से लाभान्वित हुए है।

आर्थिक विकास संबंधी योजना का लाभ मात्र 02 परिवारों ने उसी प्रकार उद्यानिकी विकास योजना में 01 परिवार तथा आवास एवं पुनर्वास योजना से 6 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

शम्मी आबिदी IAS
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़